विधान प्रबोधनी

मासिक अंक-3 मई-2026

- जन विश्वास विधेयक, 2026
- व्यक्ति विशेष - डॉ0 सच्चिदानंद सिन्हा
- जनसंख्या वृद्धि और विकास योजनाएं : विधायिका की भूमिका और चुनौतियां

बिहार विधान सभा सचिवालय

पटना के गंगा तट पर स्थित 32 मीटर ऊँचा लाल ग्रेनाइट से मौर्य शैली में निर्मित सभ्यता द्वार बिहार की गौरवशाली ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसमें भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और मेगास्थनीज के शिलालेख अंकित हैं। यह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी ऊँचा और बिहार का प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित है।

सभ्यता द्वार, पटना

आमुख

डॉ० प्रेम कुमार
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

समाज के कमजोर, वंचित और संवेदनशील वर्गों को संरक्षण प्रदान करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने का आधार भी है।

सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य की मूल अवधारणा का अभिन्न अंग है

बिहार भारतीय लोकतंत्र की वह ऐतिहासिक भूमि है जहां प्राचीन गणराज्यों से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं तक जन सहभागिता, लोक कल्याण और सुशासन की अनेक परंपराओं का निरंतर विकास हुआ है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता उसकी विधायी संस्थाओं की सक्रियता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि वे सदन में जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें और ऐसे कानूनों के निर्माण में योगदान दें जो समाज के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर सके।

बदलते वैश्विक परिदृश्य, तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा उभरती चुनौतियों के बीच विधानमंडलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सुशासन आज प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य है जबकि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा दक्ष-प्रशासन इसके प्रमुख आधार स्तंभ हैं। सुशासन के मार्ग में प्रशासनिक जटिलताएं, संसाधनों की सीमाएं, क्षेत्रीय असमानताएं और बदलती जन अपेक्षाएं जैसी अनेक चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान प्रभावी नीतियों एवं जनकेंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य की मूल अवधारणा का अभिन्न अंग है। समाज के कमजोर, वंचित और संवेदनशील वर्गों को संरक्षण प्रदान करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने का आधार भी है। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अग्नि सुरक्षा भी जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन, भवन निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन, अग्निशमन उपकरणों का नियमित प्रशिक्षण तथा आपदा प्रबंधन की तैयारी अत्यंत आवश्यक है।

बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं तथा नगर निकायों के माध्यम से लोकतंत्र को गांव-गांव और छोटे-छोटे कस्बों तक पहुंचाया गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् जैसी संस्थाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विकेन्द्रीकरण ही लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर 'सशक्त बिहार-सशक्त भारत' के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। पिछले वर्षों में बिहार ने आधारभूत संरचना, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की सक्रिय भूमिका, जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक तंत्र के समन्वित प्रयास से सफल हुआ है।

''विधान प्रबोधनी'' का यह अंक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, विधायी दायित्वों, समसामयिक घटनाचक्रों एवं इससे उत्पन्न चुनौतियों तथा उसके समाधान के प्रयासों पर केंद्रित है। साथ ही ''सजग नागरिक-सशक्त भारत'' के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई सात अपीलें जनशक्ति को राष्ट्रशक्ति में रूपान्तरित करने का प्रेरणादायी संदेश है, जो इस अंक को विशिष्टता प्रदान करता है।

पत्रिका के इस अंक से जुड़े सभी रचनाकारों, विशेष रूप से सम्पादक मंडल को इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक अंक के संकलन, संपादन एवं प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(डॉ० प्रेम कुमार)
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

संजय कुमार सिंह
संयुक्त निदेशक
बिहार विधान सभा

सम्पादकीय

लोकतंत्र की सार्थकता चुनाव और जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सतत, गतिशील एवं एक जीवंत व्यवस्था पर आधारित होती है, जिसमें जनभागीदारी, जवाबदेही और जनकल्याण की भावना सर्वथा जागृत रहती है।

संसदीय लोकतंत्र की सफलता का आधार उसकी सक्रिय एवं प्रभावी कार्य-प्रणाली है। लोकतंत्र में विधानमंडल के माध्यम से जनहित से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श कर कानून बनाया जाता है। विधानमंडल जनभावनाओं, जनाकांक्षाओं और जनहित के मुद्दों को नीतियों एवं विधानों में पिरोकर कानून का रूप देता है। यह प्रक्रिया केवल विधेयकों के पारित होने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें नीतियों की समीक्षा तथा शासन को उत्तरदायी बनाने का दायित्व भी निहित होता है।

वर्तमान समय में लोकतंत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। जनसंख्या वृद्धि भी वर्त्तमान समय में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है और यह स्थिति अवसरों के साथ-साथ अनेक चुनौतियाँ भी खड़ी करती है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचनाओं पर सीधे रूप से दिखाई देता है। अनियोजित शहरीकरण का तीव्र वेग, पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन एवं सीमित भूमि पर बढ़ता बोझ चिंता का विषय है। इन परिस्थितियों में दूरदर्शी नीतियों, प्रभावी विधानों, जन-जागरूकता एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ ही विशाल जनसंख्या को मानव संसाधन के अनुरूप विकसित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा देश के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान जैसी परिस्थितियां देश के समक्ष खाद्य एवं ऊर्जा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति की चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। भारत ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि-अनुसंधान, तकनीक एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा भंडारण क्षमता के साथ नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है। हम दूरदर्शी नीतियों एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा ही खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।

विधान प्रबोधनी का यह अंक इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित विमर्श प्रस्तुत करने का प्रयास है। साथ ही इस अंक में बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास से जुड़े संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा पर विशेष आलेख प्रकाशित किया गया है, जिनका जीवन सार्वजनिक सेवा, राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण है।

जिला विशेष 'पटना' के अंतर्गत राजधानी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। आपदा प्रबंधन में जागरूकता, तत्परता और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस हेतु बिहार विधान सभा सचिवालय में जनसुरक्षा से जुड़े अग्निशमन प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल कार्यक्रम संबंधी सामग्री भी इस अंक में सम्मिलित की गई है।

देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशहित में किये गये सात अपील के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की पहल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था (बस सेवा) इस अंक में विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आशा है कि इस अंक में प्रकाशित आलेख / रचना, अध्ययन सामग्री और प्रस्तुत विचार लोकतांत्रिक चेतना को और अधिक समृद्ध करेंगे तथा नीति निर्माण, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विमर्श को नई दिशा प्रदान करेंगे।

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक
बिहार विधान सभा

विधान प्रबोधनी

मासिक अंक-3 मई-2026

मुख्य संरक्षक : डॉ० प्रेम कुमार, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

संरक्षक : नरेन्द्र नारायण यादव, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा

मार्गदर्शक : पूनम सिन्हा, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
संजय कुमार सिंह
संयुक्त निदेशक, बिहार विधान सभा

वरिष्ठ संपादक
राम कुमार यादव
उप सचिव, बिहार विधान सभा

संपादक
प्रज्ञाग्नि
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा

संपादन संयोजक

संदीप कुमार राय
आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय

अमर कुमार झा
आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय

राजीव रंजन
प्रशाखा पदाधिकारी
अध्यक्षीय कार्यालय, बिहार विधान सभा

संपादन सलाहकार

नन्द किशोर सिंह **संदीप कुमार** **रणविजय रौशन**

शोध / संदर्भ

धनंजय कुमार
शोध संदर्भ सहायक
बिहार विधान सभा

राजीव रंजन
शोध संदर्भ सहायक
बिहार विधान सभा

पंकज कुमार
शोध संदर्भ सहायक
बिहार विधान सभा

कला संयोजन

निलेश कुमार **प्रदीप कुमार राय** **अनिकेत राज**

छायाकार

हरेन्द्र कुमार पाल **ललित नारायण पासवान** **अभिजीत राज**

संपादकीय कार्यालय
पत्रिका प्रकाशन शाखा, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना
ईमेल : patrikabvs2021@gmail.com
Mob. : 9740400166
प्रकाशक : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

'विधान प्रबोधनी' पत्रिका के प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखकों/संस्थाओं के स्वयं के हैं। बिहार विधान सभा सचिवालय की इसमें सहमति आवश्यक नहीं है।

'विधान प्रबोधनी'' पत्रिका के संबंध में पाठकगण का विचार एवं सुझाव पत्र एवं ई-मेल के माध्यम से सादर आमंत्रित हैं।

मुद्रक: यूनाईटेड प्रिंटर्स एण्ड सर्विस प्रोभाइडर
संदलपुर रोड, नियर संदलपुर अखाड़ा, पटना-6, मो.-9334116542

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	रचनाकार	पृ.सं.
1.	युगांतरकारी जनादेश और लोकतांत्रिक जागरण का उद्घोष	डॉ. प्रेम कुमार अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	6-8
2.	विधायी विमर्श : बिहार जन विश्वास विधेयक, 2026	प्रज्ञाग्नि	9-11
3.	प्रधानमंत्री के सात अपील	नेहा भारती	12-13
4.	आलेख		
	• जनसंख्या वृद्धि और विकास योजनाएं : विधायिका की भूमिका और चुनौतियाँ	प्रमोद कुमार सिन्हा, स.वि.स.	14-15
	• नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन के नए मायने	आनंद मिश्र, स.वि.स.	16-17
	• वैश्विक संकट की स्थिति में विधान सभा की भूमिका : खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और कृषि नीतियों का विश्लेषण	श्याम रजक, स.वि.स.	18-19
	• संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला: विधायी प्रक्रियाएँ एवं सुशासन की चुनौतियाँ	आफाक अहमद खान, स.वि.प.	20-23
	• बाढ़ विधान सभा क्षेत्र: विकास की नई दिशा	डॉ. सियाराम सिंह, स.वि.स.	24-26
	• विकास का लक्ष्य एवं कार्यदृष्टि	रोहित पाण्डेय, स.वि.स.	27-28
	• डॉ० अम्बेडकर और भारतीय संविधान	सूर्य नारायण राम	29
5.	व्यक्ति विशेष : डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा	प्रज्ञाग्नि	30-33
6.	जिला विशेष : पटना	धनंजय कुमार	34-47
7.	समाचार पत्रों की नजर से...	नीलेश कुमार	48-49
8.	अग्निशमन : प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल	नन्द किशोर सिंह	50
9.	विविध कार्यक्रम	प्रभात कुमार	51-53
10.	बिहार विधान सभा में बस सेवा का प्रारंभ	दीपक कुमार	54
11.	झलक	राजीव रंजन	55-57
12.	फोटो गैलरी	केशव किशोर उर्फ राजा पाण्डेय	58-60

युगांतरकारी जनादेश और लोकतांत्रिक जागरण का उद्घोष

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे समाज की सामूहिक चेतना, जनाकांक्षाओं और भविष्य की दिशा का निर्णायक उद्घोष बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव 2026 ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षण सिद्ध हुआ है। दशकों से राजनीतिक हिंसा, वैचारिक ध्रुवीकरण और सत्ता-केंद्रित संघर्षों से जूझ रहे बंगाल ने इस बार अभूतपूर्व मतदान और स्पष्ट जनादेश के माध्यम से यह संकेत दिया है कि जनता अब केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि सुशासन, विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता की ठोस अपेक्षा रखती है। 92.47 प्रतिशत का ऐतिहासिक मतदान और भाजपा को प्राप्त 207 सीटों का प्रचंड बहुमत केवल चुनावी आँकड़े नहीं हैं, बल्कि वे उस गहरे सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, जो बंगाल की धरती पर लंबे समय से आकार ले रहे थे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर विधान सभा में दो-तिहाई से अधिक का बहुमत हासिल कर लिया है और टीएमसी के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद हुए इस पहले चुनाव में टीएमसी काफी पीछे रह गई और केवल 80 सीटों पर सिमट गई। कुल 293 विधान सभा सीटों में से 292 सीटों के परिणाम घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) को मात्र दो-दो सीटें मिलीं, जबकि सीपीआई (एम) ने एक सीट जीती। अंतिम एक सीट पर हुए उप-चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को विजय प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी प्रतिष्ठित भवानीपुर सीट पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15 हजार से अधिक मतों से पराजित हुईं। वर्ष 1972 के बाद यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार बनने जा रही है, जिसकी पार्टी केंद्र की सत्ता में भी विद्यमान है।

डॉ० प्रेम कुमार
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

असम में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए 126 सदस्यीय विधान सभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा को 82 सीटें, सहयोगी एजीपी को 9 सीटें और बीपीएफ को 10 सीटें प्राप्त हुईं। पुदुचेरी में भी एनडीए ने 30 सदस्यीय विधान सभा में 18 सीटें जीतकर सहज वापसी की, जिसमें अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस को 12 तथा भाजपा को 4 सीटें मिलीं। इन तीनों राज्यों के जनादेश मिलकर भारतीय राजनीति की नई दिशा स्पष्ट करते हैं- विकासोन्मुख परिवर्तन अब केवल संभावना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय यथार्थ बन चुका है।

लोकतंत्र अपने सबसे जीवंत और पवित्र स्वरूप में तब दिखाई देता है जब एक सामान्य नागरिक मतदान केंद्र की ओर बढ़ता है। उसका वह एक कदम किसी दल की जीत-हार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, वह राष्ट्र की सामूहिक चेतना और भविष्य के प्रति जनता के विश्वास का प्रतीक बन जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कर यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग से संबंधित हो- समान रूप से मतदान का अधिकार रखे। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव 2026 इसी संवैधानिक भावना का विराट और ऐतिहासिक उदाहरण बनकर उभरा।

ध्यातव्य है कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल, 2026

को संपन्न चुनाव के प्रथम चरण में 93.19 प्रतिशत तथा 29 अप्रैल, 2026 को दूसरे एवं अंतिम चरण में 91.66 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। दोनों चरणों का संयुक्त मतदान प्रतिशत 92.47 रहा, जो स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल का अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। यह केवल चुनावी भागीदारी नहीं, बल्कि परिवर्तन के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रखर प्रदर्शन था।

मतदान केवल संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति नागरिक उत्तरदायित्व की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्योति बसु बनाम देबी घोषाल (1982) के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया था कि मतदान का अधिकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा है। जब नागरिक बिना भय, दबाव या प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से मतदान करता है, तभी लोकतंत्र का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। बंगाल के करोड़ों मतदाताओं ने इस चुनाव में यही संदेश दिया।

यदि बंगाल के पूर्व चुनावों की तुलना की जाए तो इस बार का मतदान प्रतिशत और भी अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है। वर्ष 2011 में मतदान प्रतिशत 84.72, 2016 में 84.10 तथा 2021 में लगभग 82 प्रतिशत था। इस बार का 92.47 प्रतिशत मतदान इन सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ता है। दक्षिण दिनाजपुर, कूचबिहार, बीरभूम और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में 93 से 95 प्रतिशत तक मतदान हुआ। विशेष रूप से महिला मतदाताओं की 92.28 प्रतिशत भागीदारी इस बात का संकेत है कि समाज का वह वर्ग, जो लंबे समय तक भय और असुरक्षा से जूझता रहा, अब निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जब इन आँकड़ों की तुलना विकसित देशों के मतदान प्रतिशत से की जाती है तो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और अधिक स्पष्ट होती है। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान योग्य आबादी का लगभग 65 प्रतिशत ही मतदान कर पाया। यूरोप के अनेक देशों में भी मतदान प्रतिशत लगातार गिर रहा है। ऐसे समय में बंगाल में 92.47 प्रतिशत मतदान यह सिद्ध करता है कि भारत का लोकतंत्र केवल संवैधानिक संरचना नहीं, बल्कि जनमानस की जीवंत आस्था है।

इस ऐतिहासिक मतदान के पीछे भारत निर्वाचन आयोग की सक्रिय और आधुनिक कार्यप्रणाली की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। SVEEP अभियान, "My India, My Vote" थीम, रंगीन फोटोयुक्त ईवीएम बैलेट, दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएँ, cVIGIL ऐप तथा शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग जैसी व्यवस्थाओं ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने भी चुनाव की विश्वसनीयता को नई मजबूती प्रदान की। इसके द्वारा फर्जी, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाया गया।

इस जनादेश के पीछे वर्षों से संचित जनता का असंतोष भी निर्णायक कारक बना। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन वितरण में अनियमितताएँ, मवेशी तस्करी, संदेशखाली जैसी घटनाएँ तथा राजनीतिक हिंसा ने आम नागरिक के भीतर गहरा आक्रोश पैदा किया। भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, महिला सुरक्षा तथा केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित बंगाल की जनता के मुद्दों को जिस दृढ़ता से उठाया, उसने समाज के व्यापक वर्गों में परिवर्तन की उम्मीद को सशक्त किया।

भाजपा की यह विजय केवल सत्ता-विरोधी लहर का परिणाम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संगठनात्मक परिश्रम, वैचारिक संघर्ष और जनविश्वास का प्रतिफल है। वर्ष 2016 में

मात्र तीन सीटों से शुरू हुई यात्रा वर्ष 2021 में 77 सीटों तक पहुँची और अब वर्ष 2026 में 207 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत में परिणत हुई है। यह परिवर्तन बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है।

युवा मतदाता और बुद्धिजीवी वर्ग इस परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरे। बंगाल का युवा अब अवसरवाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षणवाद से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और पारदर्शी शासन की अपेक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत औद्योगिक पुनरुद्धार और आत्मनिर्भर भारत के विजन ने युवाओं में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया। महिला मतदाताओं की अभूतपूर्व भागीदारी ने भी स्पष्ट कर दिया कि समाज अब भयमुक्त और सम्मानजनक जीवन चाहता है।

बिहार की धरती से बंगाल के इस ऐतिहासिक परिवर्तन को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों राज्यों की राजनीतिक चेतना में गहरा साम्य है। जिस प्रकार बिहार ने सुशासन और विकास की दिशा में नए प्रतिमान स्थापित किए, उसी प्रकार बंगाल भी अब विकासोन्मुख और परिणाम केंद्रित राजनीति की ओर अग्रसर दिखाई देता है। ''डबल इंजन सरकार'' का विचार केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि विकास और प्रशासनिक समन्वय का व्यावहारिक मॉडल बनकर उभरा है। आगे भी आवश्यक है कि मतदाता जागरूकता को स्थायी राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप दिया जाए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों को सक्रिय किया जाए। मतदाता सूची की पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सशक्त करने की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

सनद रहे कि पश्चिम बंगाल का यह जनादेश केवल सरकार बदलने का निर्णय नहीं, बल्कि जनता की चेतना के जागरण का ऐतिहासिक उद्घोष है। 92.47 प्रतिशत का अभूतपूर्व मतदान, 207 सीटों का प्रचंड बहुमत और वर्षों से स्थापित राजनीतिक वर्चस्व का अंत-इन तीनों ने मिलकर यह स्पष्ट कर दिया कि बंगाल की जनता अब भय, भ्रष्टाचार, हिंसा और राजनीतिक जड़ता से आगे बढ़कर विकास, सुशासन और आत्मसम्मान आधारित नई व्यवस्था चाहती है।

यह परिणाम केवल किसी दल की विजय या पराजय तक सीमित नहीं है, यह लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्च शक्ति, जागरूक नागरिक चेतना और संवैधानिक आस्था का विराट प्रमाण है। फिलहाल, बंगाल ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब समाज परिवर्तन का मन बना लेता है, तब इतिहास की दिशा बदलने में अधिक समय नहीं लगता। परिणामस्वरूप, सोनार बांग्ला का स्वर्णिम स्वप्न अब केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि जनविश्वास, लोकतांत्रिक पुनर्जागरण और विकासोन्मुख नव युग की सशक्त वास्तविकता बन चुका है।

बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026

विश्वास-आधारित शासन का नया युग

विश्वास आधारित शासन सुधार के 4 स्तंभ

दंड के पहले चेतावनी

पहली बार हुई और मामूली गलतियों पर तुरंत दंड नहीं, बल्कि चेतावनी दी जाएगी

अनुपातिक दंड

दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होंगे

तेज और निष्पक्ष समाधान

न्यायनिर्णय प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करेंगे।

गतिशील दंड ढांचा

जुर्माने समय-समय पर संशोधित किए जाएँगे।

कई वर्षों तक हमारे देश एवं राज्य में ऐसे कई कानून रहे, जिनमें छोटी-छोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को भी आपराधिक माना जाता था। जैसे समय से फाइलिंग न करना, फॉर्म भरने में त्रुटि या मामूली कागजी गलती पर भी नागरिकों, विशेषकर व्यवसायियों को आपराधिक दंड, यहाँ तक कि कारावास का भी सामना करना पड़ सकता था। अत्यधिक विनियमन, लघु और तकनीकी प्रकृति के अपराध तथा प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन से संबंधित अपराध विभिन्न व्यवसायों, नागरिकों और राज्य पर भारी बोझ डालते हैं। ऐसे प्रावधान न केवल उद्यमशीलता को हतोत्साहित करते हैं और व्यापार करने तथा जीवन-निर्वाह में सुगमता को बाधित करते हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ भी डालते हैं और प्रशासनिक दक्षता को कम करते हैं।

केंद्र सरकार के द्वारा भी सन 2023 में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, जिनके अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों के विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था । केंद्र सरकार ने सन 2023 में उक्त अधिनियम पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के साथ एक परामर्शी भी समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिचारित किया ताकि वे अपने विधायी परिदृश्य की समीक्षा कर सकें और राज्य स्तर पर कानूनों को अधिक संतुलित और व्यावहारिक बनाने की दिशा में कदम उठायें। इसी परिपेक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा

18वीं विधान सभा के द्वितीय सत्र में बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया जिसके माध्यम से कई राज्य कानूनों में निहित अनेक छोटे अपराधों के लिए आपराधिक दंड को हटा दिया गया ।

नागरिक केंद्रित सुधारः आम आदमी के लिए लाभ

बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 में कई सुधार किए गए हैं, जिनसे आम नागरिकों को सीधा फायदा होगा एवं यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि रोजमर्रा की छोटी-मोटी गलतियों की वजह से आपराधिक मुकदमा ना चलाया जाये। उदाहरण के लिए, बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1983 के तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या दो हजार रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान था। इस प्रकार के मामलों में प्रायः छोटे व्यापारी अथवा गरीब व्यक्ति दोषी पाये जाते थे जिनपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता था एवं कारावास में रखा जाता था। जनविश्वास अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम में कारावास से संबंधित सभी प्रावधान को हटाते हुए केवल दो हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006 की उपधारा 2 में छह माह तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के स्थान पर बीस हजार रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की कुल 11 धाराओं एवं बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 की 8 धाराओं तथा बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की 3 धाराओं सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 8 अधिनियमों में संशोधन कर नियमों को जन-केंद्रित एवं गैर-आपराधिक बनाया गया है जिसकी सूची नीचे दी गई हैः-

01 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

02 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007

03 बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012

04 बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1983)

05 बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025

06 बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010

07 बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961

08 बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006

जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग (सुगम जीवन) प्रावधान

कई कानूनों में आपराधिक प्रावधानों को कम करने के अलावा, जन विश्वास विधेयक, 2026 कई ऐसे प्रावधान भी करता है जिससे नियामक आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है एवं नागरिक तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच सुगम सेतु बनाता है। इस तरह के सुधारों से आम नागरिकों के लिए कानून का पालन करना सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है।

जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (सुगम व्यापार) प्रावधान

जन-विश्वास का मतलब है-ईमानदार कंप्लायंस को राहत देना, लेकिन संगठित घोटालों, गंभीर फ्रॉड और पब्लिक हार्म पर सख्ती बढ़ाना। इसके द्वारा कानून को कमजोर नहीं बल्कि अधिक न्यायसंगत, अधिक लक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाया गया है। कानून का डर अब छोटी-मोटी गलतियों पर नहीं, बल्कि संगठित एवं गंभीर अपराध पर होगा। ऐसे प्रावधान एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे और सुगम व्यापार सुनिश्चित करेंगे। जन विश्वास अधिनियम ईमानदार व्यवसायियों का विश्वास बढ़ाएगा, निवेश को प्रोत्साहित करेगा और बिहार को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

जुर्मानों और शास्तियों का पुनरीक्षण

जन-विश्वास अधिनियम की एक खासियत यह भी है कि इनमें स्वत: समय आधारित जुर्मानों एवं शास्तियों के पुनरीक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, संबंधित न्यूनतम राशि को दस प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा।

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 → धारा 11

पूर्व प्रावधान	संसोधित प्रावधान
सोसाइटी को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी कृत्य, चूक, तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक अनियमितता के लिए सदस्यों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता था।	सोसाइटी के प्रबंधन से संबंधित वैसे कृत्य, चूक या प्रक्रियात्मक अनियमितता जो आपराधिक या धोखाधड़ीपूर्ण प्रकृति के ना हों, में सदस्य केवल सोसाइटी के लागू कानूनों, नियमों या उप-नियमों के तहत निर्धारित उपयुक्त दीवानी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ही उत्तरदायी होंगे।

मुख्य लाभ

छोटे-छोटे प्रक्रियात्मक अथवा मामूली कागजी गलतियों के मामलों में लोगों के लिए प्रशासनिक कवच के साथ-साथ विवादों का सिविल न्यायालय में निपटारा, परंतु जानबूझकर अथवा दुर्भावना से किए गए क्षति के प्रति जीरो टॉलरेंस बरकरार रखता है।

प्रज्ञाग्नि
प्रशाखा पदाधिकारी

सजग नागरिक-सशक्त भारत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक आर्थिक संकट के वातावरण में देश की नागरिक शक्ति का आह्वान

''सजग नागरिक, सशक्त भारत'' का तात्पर्य है कि जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रख सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, पेट्रोलियम सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के वातावरण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु देशवासियों से 7 अपील किए हैं, जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की बचत एवं स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। उन्होंने "Nation First, Duty Above Comfort" का संदेश देते हुए लोगों से कुछ समय के लिए अपनी सुविधाओं में छोटी-छोटी कटौती करने की अपील की, ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उदाहरणस्वरूप, यदि आंकड़ों के माध्यम से देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने करीब 11 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया था और यदि इसमें हम छोटी-छोटी कटौती के द्वारा अगर 20 फीसदी की भी कमी कर पाते हैं तो इससे करीब 2.2 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत होगी जो हमारे केंद्रीय रेलवे बजट के करीब-करीब बराबर एवं केंद्रीय शिक्षा बजट का लगभग दुगुना होगा। अतः आर्थिक संकट के इस वातावरण में हमें कर्तव्यबोध के साथ देश के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

क्रमांक	प्रधानमंत्री मोदी की अपील	उद्देश्य
1.	जहाँ तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं	ईंधन खपत और ट्रैफिक कम करना
2.	एक साल तक सोना खरीदने से बचें	विदेशी मुद्रा की बचत एवं आयात बिल में कमी
3.	पेट्रोल–डीजल की खपत घटाएँ	ईंधन खपत को कम करना तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा
4.	खाने के तेल का कम इस्तेमाल करें	आयात बिल कम करना
5.	रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाएँ	प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
6.	विदेशी ब्रांड का कम इस्तेमाल करें	स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा
7.	एक साल तक अनावश्यक विदेश यात्रा टालें	विदेशी मुद्रा बचाना और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा

प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो निम्नलिखित हैं:-

- मा० मुख्यमंत्री के वाहन काफिले में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है।
- माननीय मंत्रीगण, निगम बोर्ड के माननीय अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण से बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने की अपील की गई है।
- राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो अथवा सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करने पर जोर देने का आग्रह किया गया है।
- राज्य सरकार के सभी विभागों को सभी प्रकार की कांफ्रेंस एवं सरकारी बैठकों का आयोजन यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
- प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में संचालित कैंटीन में पाम आयल के न्यूनतम उपयोग का निर्देश दिया गया है।
- सरकारी तथा निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।
- सभी नागरिकों से सप्ताह में एक दिन ''नो व्हीकल डे'' मनाने का आग्रह किया गया है।

नेहा भारती
प्रशाखा पदाधिकारी

जनसंख्या वृद्धि और विकास योजनाएं

विधायिका की भूमिका और चुनौतियाँ

प्रमोद कुमार सिन्हा
सदस्य
बिहार विधान सभा

बिहार की पावन धरा, जो कभी ज्ञान, अध्यात्म और लोकतंत्र की जननी रही है, आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जितनी संपन्न यह भूमि है, वर्तमान में जनसांख्यिकीय चुनौतियों के दृष्टिकोण से उतनी ही संवेदनशील भी है। विकास की यात्रा में निरंतर अग्रसर रहने के लिए संसाधनों और जनसंख्या के बीच संतुलन अनिवार्य है। 'विधान प्रबोधनी' के माध्यम से मैं जनसंख्या वृद्धि की विभीषिका, उससे उत्पन्न चुनौतियों तथा केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों पर अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ।

बिहार का वर्तमान परिदृश्य

सांख्यिकीय दृष्टि से देखें तो बिहार भारत का सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है। हमारी भौगोलिक सीमाएं सीमित हैं, किंतु जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र है। यह असंतुलन हमारे प्राकृतिक और निर्मित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालता है। वर्तमान परिदृश्य में 'कुल प्रजनन दर' मुख्य चिंता का विषय बनी हुई है। यद्यपि विगत दशकों में राज्य सरकार की नीतियों के कारण इसमें परिमार्जन हुआ है, तथापि 'विकसित बिहार' के स्वप्न को साकार करने के लिए इसे और अधिक नियंत्रित करने की महती आवश्यकता है।

बढ़ती जनसंख्या का प्रत्यक्ष कुप्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। जब तक हम जनसंख्या वृद्धि की गति को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक निर्धनता के दुष्चक्र को खंडित करना एक महती चुनौती बनी रहेगी। भूमि का विखंडन, बेरोजगारी और अनियोजित शहरीकरण का दबाव इसी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम हैं।

केंद्र एवं बिहार का सशक्त समन्वय

बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र और राज्य की सरकारों ने समन्वित प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए बिहार में विकास की नई गाथा लिखी गई है।

1. महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा

एक शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज की दिशा बदल सकती है। इसी क्रम में, केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना और राज्य की 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' जैसे क्रांतिकारी प्रकल्पों ने बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर को काफी कम किया है। जब बेटियां शिक्षित होती हैं, तो वे परिवार नियोजन के महत्व को स्वत: समझती हैं।

2. स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाएं

स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की 'आयुष्मान भारत योजना' विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसने बिहार के करोड़ों निर्धन परिवारों को सुरक्षा कवच दिया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार की सुदृढ़ स्वास्थ्य नीतियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया गया है।

3. आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण

केन्द्र एवं राज्य सरकार ने सड़क, विद्युत एवं जल आपूर्ति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 'हर घर नल का जल' और 'सौभाग्य योजना' जैसी पहलों ने ग्रामीण जीवन स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन किया है।

पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल जी का नेतृत्व क्षेत्र के विकास और सामाजिक चेतना के लिए अत्यंत प्रेरणादायी रहा है। एक चिकित्सक होने के नाते वे जनसंख्या के चिकित्सकीय एवं सामाजिक पहलुओं को भली-भांति समझते हैं। उनके नेतृत्व में चंपारण की भौगोलिक

और सामाजिक चुनौतियों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावी रूप से जोड़ा गया, जिससे उल्लेखनीय प्रगति संभव हुई।

यह स्पष्ट हुआ है कि कैसे स्वास्थ्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण तथा शैक्षिक नवाचार जैसे उपाय जनसंख्या से जुड़े जटिल विषयों के समाधान में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से सीमावर्ती रक्सौल विधानसभा, जो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहां विकास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु सांसद महोदय का निरंतर सहयोग और ऊर्जावान नेतृत्व प्राप्त होता रहता है। उनके सुझावों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विधायिका की भूमिकाः विधि-निर्माण और सामाजिक चेतना

एक विधायक के रूप में मेरा यह दृढ़ मत है कि हमारा उत्तरदायित्व केवल विधानमंडल की बैठकों और विधि-निर्माण तक सीमित नहीं है, अपितु समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी हमारा प्रमुख धर्म है।

सशक्त एवं न्यायसंगत कानून की आवश्यकता

समय की मांग है कि वर्तमान जनसांख्यिकीय चुनौतियों के समाधान हेतु विधायिका द्वारा एक सशक्त एवं न्यायसंगत जनसंख्या नियंत्रण कानून के निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता है। ऐसा विधान जो न केवल दंडात्मक हो, अपितु प्रोत्साहन आधारित नीतियों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को छोटे एवं संतुलित परिवार के प्रति उत्तरदायी और जागरूक बनाए, तभी 'विकसित बिहार' का संकल्प सिद्ध होगा।

जन-जागरण का अभियान

एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते, मेरा लक्ष्य रक्सौल के प्रत्येक ग्राम और पंचायत में जन-जागरण फैलाना है। जनसंख्या नियंत्रण को किसी मत या संप्रदाय के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि 'राष्ट्र निर्माण' के उद्देश्य से देखा जाना चाहिए।

योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन

विधायिका का कार्य केवल नीतियाँ बनाना नही, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुँचे। जब निर्धन वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तो जनसंख्या नियंत्रण के प्रति उसकी स्वीकृति स्वतः बढ़ेगी।

चुनौतियांः बाधाएं और सीमावर्ती जटिलताएं

लक्ष्य जितना विशाल होता है, चुनौतियां उतनी ही कठिन होती हैं। अशिक्षा, प्राचीन भ्रामक धारणाएं और निर्धनता आज भी जनसंख्या नियंत्रण के मार्ग में हिमालय जैसी बाधाएं हैं।

रक्सौल जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। यहां की खुली सीमाएं, पलायन और सूचनाओं का अभाव जैसी परिस्थितयाँ जागरूकता के मार्ग में अवरोध बनते हैं। कुछ सामाजिक वर्गों में परिवार नियोजन को लेकर आज भी संकोच और भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिन्हें केवल संवाद और निरंतर प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है।

भविष्य की राह

यदि बिहार को **'विकसित बिहार'** के रूप में वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करना है, तो हमें जनसांख्यिकीय संतुलन को प्राथमिकता देनी ही होगी। बिना जनसंख्या नियंत्रण के विकास की सभी उपलब्धियां अधूरी सिद्ध होंगी। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और स्थानीय सांसद का अनुभवी नेतृत्व का मार्गदर्शन इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहा है। किंतु यह केवल शासन या विधायिका का कार्य नहीं है, इसे 'जन-आंदोलन' बनना चाहिए। हमें रक्सौल से लेकर पटना तक और चंपारण से लेकर मिथिलांचल तक, एक सामूहिक चेतना जागृत करनी होगी। 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' केवल एक उद्घोष वाक्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार होना चाहिए।

आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जहां प्रत्येक शिशु को श्रेष्ठ शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और असीम अवसर प्राप्त हों। एक संतुलित जनसंख्या वाला बिहार ही आत्मनिर्भर और गौरवशाली बिहार बनेगा।

नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन के नए मायने

आनंद मिश्र
सदस्य
बिहार विधान सभा

पटना के गांधीनगर में रह कर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे आर्यन का मन हमेशा अपने गांव की मिट्टी में बसता था। आर्यन का बचपन से एक ही सपना था-खाकी वर्दी पहनना। उसके पिता ने बोरिंग रोड की तपती दोपहरी में मेहनत करके उसे बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कराई थी। आर्यन की मेहनत रंग लाई, उसने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, दोनों ही बड़े अंतर से पार कर लिए। पूरे गांव में चर्चा थी कि ''अब तो बेटा दरोगा बनेगा।'' घर में जश्न का माहौल था, बस पुलिस वेरिफिकेशन की औपचारिकता बाकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव की ''एक छोटी सी मेढ़'' उसका रास्ता रोक देगी।

दो साल पहले, गांव में पुश्तैनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर चाचा और पड़ोसियों के बीच कहासुनी हुई थी। मामला महज एक मेढ़ खिसकाने का था, जो एक मामूली विवाद था। लेकिन गांव की रंजिश में अक्सर पूरे खानदान को लपेटने की रवायत रही है। गुस्से में आकर दूसरे पक्ष ने एक ऐसी एफ.आइ.आर. दर्ज कराई, जिसमें आर्यन समेत घर के हर उस सदस्य का नाम लिखवा दिया गया जो उस समय वहां मौजूद भी नहीं था। आर्यन उस वक्त शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 'नामजद' होने के कारण पुलिस रिकॉर्ड में वह भी ''अभियुक्त'' बन गया। उसे लगा था कि गांव के ये छोटे-मोटे झगड़े समय के साथ सुलझ जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन में इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब वेरिफिकेशन का समय आया, तो स्थानीय थाने की रिकॉर्ड में उसका नाम एक आपराधिक मामले में दर्ज मिला। रिपोर्ट में लिख दिया गया कि अभ्यर्थी पर 'संपत्ति हड़पने और आपराधिक धमकी' का मुकदमा चल रहा है। इस 'Adverse Information" के कारण, मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद विभाग ने उसकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी। नियम स्पष्ट था- जब तक मामला विचाराधीन है, चरित्र प्रमाण पत्र 'क्लीन' नहीं माना जाएगा। आज स्थिति यह है कि जिस वर्दी का सपना उसने देखा था, वही पुलिस अब उसे एक ''अभियुक्त'' के रूप में देखती है। पिता की उम्र भर की जमा पूंजी अब कचहरी के चक्करों और वकीलों की फीस में स्वाहा हो रही है।

बिहार जैसे राज्य में, जहाँ सरकारी नौकरी महज एक आजीविका नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, वहां नियुक्ति प्रक्रियाओं में कानूनी अड़चनों का आना हजारों परिवारों के सपनों को अधर में लटका देता है। हाल के दिनों में न्यायपालिका ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है: सिर्फ किसी के खिलाफ एफ.आइ.आर. दर्ज होना, उसे नियुक्ति पत्र से वंचित करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

भारतीय न्यायशास्त्र का मूल मंत्र है- ''जब तक

दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है।'' बिहार में अक्सर देखा जाता है कि छात्र आंदोलनों, जमीनी विवादों या राजनीतिक रंजिश के कारण मेधावी छात्रों पर एफ.आइ. आर. दर्ज कर दी जाती है। यदि प्रशासन केवल इसी आधार पर नियुक्ति रोकता है, तो यह उस छात्र के संवैधानिक अधिकारों और 'राइट टू लाइवलीहुड' का उल्लंघन है। अवतार सिंह बनाम भारत संघ [Avtar Singh vs. Union of India] 2016, इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि:

''यदि छात्र ने एफ.आइ.आर. की जानकारी नहीं छुपाई है, तो विभाग को केवल एफ.आइ.आर. के आधार पर उम्मीदवारी रद्द नहीं करनी चाहिए। नियोक्ता को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या वह अपराध नौकरी के लिए बाधक है।''

समय की मांग है कि बिहार सरकार और उसके विभिन्न भर्ती बोर्ड अपनी नियमावली में सुधार करें। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए एक नीतिगत पहल करनी चाहिए। चूँकि सामान्य प्रशासन विभाग राज्य में नियुक्तियों और सेवा शर्तों का मुख्य नियामक है, उसे एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए जिसमें स्पष्ट हो कि ''लंबित एफ.आइ.आर.'' और ''दोषसिद्धि'' के बीच अंतर है। जब तक न्यायालय से दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि होनहार छात्रों का भविष्य कानूनी उलझनों में न फंसे। विभाग एक ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है जहाँ अभ्यर्थी को इस शर्त पर नियुक्ति पत्र दिया जाए कि उसका अंतिम चयन न्यायालय के फैसले के अधीन होगा। यदि भविष्य में वह दोषी पाया जाता है, तो उसकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। अपने प्रथम बजट सत्र के दौरान बिहार विधान सभा में मुझे शासन और नीति निर्माण की कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिला। गृह बजट के समर्थन में बोलते हुए मैंने आधुनिक, तकनीक-आधारित पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। पुलिस व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और वास्तविक अर्थों में नागरिक-केंद्रित बनाना समय की मांग है। मैंने विशेष रूप से चरित्र प्रमाण-पत्र की समस्या को उठाया।

कई युवा प्राय: छोटे-मोटे स्थानीय विवादों में नाम आ जाने के कारण कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं और रोजगार हेतु आवश्यक चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब का सामना करते हैं। प्रक्रियागत जटिलताओं और तकनीकी बाधाओं के कारण योग्य युवाओं के रोजगार के अवसर छिन जाते हैं। यह केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न है, जिसके लिए त्वरित सुधार आवश्यक है।

प्रशासन को यह समझना होगा कि एफ.आइ.आर. महज एक सूचना है, किसी के ''अपराधी'' होने की मुहर नहीं है। नियुक्ति पत्र देना और उसे ''न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन'' रखना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि किसी युवा की ऊर्जा कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने के बजाय राष्ट्र निर्माण में लगे। न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर है। अत:, लंबित मुकदमों के नाम पर मेधा को बंधक बनाना बंद होना चाहिए।

वैश्विक संकट की स्थिति में विधान सभा की भूमिका

खाद्य-सुरक्षा, ऊर्जा और कृषि नीतियों का विश्लेषण

श्याम रजक
सदस्य
बिहार विधान सभा

पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद मानव सभ्यता ने विकास की अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, परंतु देशों के आपसी विद्वेष से उत्पन्न वर्तमान वैश्विक स्थिति ने पूरे मानव जाति के सामने विकट समस्या उत्पन्न कर दी है।

विगत 28 फरवरी, 2026 को ईरान पर इजराईल एवं अमेरिका के हमले के बाद पश्चिम एशिया से भारत को होने वाली ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है।

पहले से ही चल रहे यूक्रेन-रूस युद्ध से विश्व का सप्लाई चेन प्रभावित था। भारत यूक्रेन से बड़ी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल, मक्का, कभी-कभी गेहूँ भी आयात करता है। रूस और यूक्रेन विश्व के सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक देश हैं।

खाद्य-सुरक्षा और कृषि-उत्पादन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारत पश्चिम एशिया के देशों से 100 अरब डालर मूल्य के वस्तुओं का आयात करता है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की है।

खाद्य सुरक्षा तभी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जब सभी को समय पर पर्याप्त पौष्टिक आहार, उनकी क्रय शक्ति के अंदर उपलब्ध हो। इस युद्ध से खाड़ी देशों में बसे लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। भारत से खाड़ी देश जानेवाले भारतीयों की कुल संख्या का 18 प्रतिशत बिहार से है। दिनांक 24 मार्च, 2026 तक खाड़ी देशों से लगभग 3,76,000 (तीन लाख छिहत्तर हजार) कामगार भारत वापस लौट आये। वर्तमान वैश्विक संकट बना रहा तो यह संख्या और बढ़ भी सकती है। आनेवाले दिनों में खाड़ी देशों में लोग रोजगार के लिए जाना बंद कर देंगे तो ये बिहार जैसे राज्यों के लिए समस्या साबित होगी।

पश्चिम एशिया विवाद की वजह से देश में एल.पी.जी. की किल्लत से निपटने हेतु सरकार के स्तर से बिजली से चलने वाले ''इंडक्शन चूल्हा'' के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस चूल्हे के उपयोग से 6 प्रतिशत बिजली की मांग बढ़ सकती है और इसके लिए देश को 27 हजार मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 22 हजार 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की योजना बनाई है। इंडक्शन चूल्हों से खाना बनाना एल.पी.जी. की तुलना में सस्ता भी है, जहां एल.पी.जी. से खाना बनाने का वार्षिक खर्च 8000 रूपये आता है, वही इंडक्शन चूल्हा से एक परिवार का खाना 5000 में बनाया जा सकता है। परंतु जनभावनाओं को इंडक्शन की ओर मोड़ना आसान नही हैं, यहां पर जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका निभानी होगी।

हमें सौर ऊर्जा जैसे गैर-पारंपरिक विकल्पों की ओर तीव्रता से बढ़ना होगा। भारत एक प्राकृतिक रूप से संपन्न देश है; सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायो गैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनाने की क्षमता प्रदान करती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से बिहार के लखीसराय जिले में 185 मेगावाट की क्षमता के कजरा सोलर प्लांट की स्थापना हुई है। राज्य में ऐसे अन्य सोलर प्लांट स्थापित करने होंगे।

पेट्रोल के विकल्प के रूप में सी.एन.जी. ईंधन वाली

गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पाद शुल्क हटाने हेतु केन्द्र सरकार विचार कर रही है, क्योंकि अधिक मूल्य के कारण सी.एन.जी. आधारित वाहनों को खरीदने से लोग कतरा रहे हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से गठित उच्च स्तरीय समिति ने उत्पाद शुल्क हटाने की सिफारिश की है।

अभी वर्तमान में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला कर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। 2025 में इथेनॉल का उपयोग कर देश ने 19 अरब डालर विदेशी मुद्रा की बचत की है। 2050 तक भारत की ऊर्जा मांग में 30 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। ऐसे में गैर-परम्परागत ऊर्जा के विकल्पों में तेजी लानी ही थी, परंतु बदलते वैश्विक परिवेश में हमें और भी तत्परता दिखानी होगी।

आनेवाली सबसे बड़ी समस्या सेमीकंडक्टर की उपलब्धता में होने वाली है, इसका आयात ताईवान से होता है। ऐसी आशंका है कि आनेवाले दिनों में चीन ताईवान पर कभी भी कब्जा कर सकता है, विश्व पटल पर वर्ल्ड पॉवर के रूप में अमेरिका की गिरती साख, रूस का भी कमजोर हो जाना इस आशंका को सही साबित कर सकता है, यदि ऐसा हुआ तो पूरे विश्व में हर तरह की तकनीक प्रभावित होगी क्योंकि सभी उपकरणों में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है।

यह वैश्विक संकट राज्य के कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। 1966 की हरित क्रांति के बाद हम अनाज उत्पादन के लिए रासायनिक खाद यथा-डी.ए.पी. एवं यूरिया के मामले में निर्भर हो गये हैं। डी.ए.पी. खाद का 60 प्रतिशत तथा यूरिया खाद का 30 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों से आयात होता है, जिस पर भारत सरकार 415.34 बिलियन रूपये सब्सिडी के रूप में खर्च करती है, इसका कारण यह है कि जिस एक बोरे डी.ए.पी. का खर्च विदेशों से मंगाने में 2840 रूपया आता है, सरकार उसे मात्र 1350 रूपये में किसानों को उपलब्ध कराती है। इसी तरह 2650 रूपये की लागत वाली यूरिया खाद का एक बोरा सरकार किसानों को मात्र 242 रूपया में देती है, सस्ते एवं सुविधाजनक खाद उपलब्ध रहने के कारण आज कोई भी किसान अपना कम्पोस्ट खाद नहीं बनाना चाहता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमें अपनी पुरानी पद्धति, कम्पोस्ट एवं जैविक खाद की ओर लौटना होगा। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जलवायु परिवर्तन की आशंका के कारण कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के मद्देनजर कृषि कैबिनेट का गठन किया था, जिसके तहत जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने पर जोर डाला गया था, इस दिशा में हमें अब तेजी से काम करना होगा।

1994 में इंडियन इन्स्टीच्युट आफ व्हीट एंड बार्ली, करनाल के प्रोफेसर बलराम, जो दलित समाज से थे, ने बिना छिलके वाले जौ की एक नई किस्म विकसित की थी, जिसका उत्पादन दर बहुत अधिक था और मात्र 20 प्रतिशत वर्षापात वाले क्षेत्रों में भी इसकी भरपूर उपज प्राप्त की जा सकती थी। उनके इस आविष्कार को वहां के तत्कालीन निदेशक, जो तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री (स्व० श्री बलराम जाखड़) के रिश्तेदार थे और प्रोफेसर बलराम से द्वेष रखते थे, के प्रभाव में श्री बलराम जाखड़ ने इस ईन्स्टीच्युट को बीज संवर्धन के लिए आवंटित राशि में कटौती कर दी। जब प्रोफेसर बलराम ने अपने आवास की ही खाली भूमि पर जौ के इस बीज का संवर्धन करना चाहा, तो निदेशक ने उस भूमि को उनकी अनुपस्थिति में ट्रैक्टर से जुतवा दिया। उनका इतना दमन हुआ कि यह परियोजना अपने अंकुरण स्तर पर ही समाप्त हो गई।

यदि हम अपने नए आविष्कारों के प्रति सजग रहते और स्टार्टअप्स को अधिक प्रोत्साहित करते तो संकट की इस घड़ी में हमें उनसे मदद मिलती और आज यक्ष प्रश्न के समान प्रतीत हो रहीं समस्याएं हमें सबक नहीं सिखाती। अब हमें ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, कृषि के सुरक्षित भविष्य के लिए उर्वरकों की घरेलू उपलब्धता के हर विकल्प पर तेजी से काम करना होगा। विधान सभा को अपने माननीय सदस्यों को इन विकल्पों के कार्यान्वयन में जनसहभागिता बढ़ाने हेतु आवश्यक पहल करने के लिए निर्देशित करना होगा।

विधायी प्रक्रियाएं एवं सुशासन की चुनौतियां

संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला

आफाक अहमद खान
सदस्य
बिहार विधान परिषद्

लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुँचने का मार्ग मिलता है। भारत, विशेषकर बिहार की भूमि, लोकतंत्र की जननी रही है। वैशाली के लिच्छवियों से शुरू हुआ यह सफर आज बिहार विधान सभा के भव्य सदन तक पहुँचा है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी विधायिका कितनी प्रभावी, पारदर्शी और नियमबद्ध है। ''विधान प्रबोधनी'' का यह नया मासिक स्वरूप निश्चित रूप से संसदीय ज्ञान के प्रसार में एक मील का पत्थर साबित होगा।

बिहार विधान सभा : एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा

बिहार विधान सभा की अपनी विशिष्ट परंपराएँ रही हैं। यहाँ की चर्चाओं ने देश को कई दिग्गज राजनेता दिए हैं। डॉ० श्रीकृष्ण सिंह (बिहार केसरी), अनुग्रह नारायण सिंह (बिहार विभूति), कर्पूरी ठाकुर (जननायक), जगदेव प्रसाद (लेनिन ऑफ बिहार) और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे प्रमुख नेता हैं। श्री नीतीश कुमार के काल में ई–विधान और महिला आरक्षण (पंचायतों में) जैसे विधायी प्रयोगों ने देश को नई राह दिखाई।

बिहार के संदर्भ में विधायी प्रक्रियाओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ सामाजिक न्याय, शिक्षा और कृषि जैसे गंभीर मुद्दे प्राथमिकता पर रहते हैं। सदन में होने वाली चर्चाओं का स्तर ही राज्य के विकास की दिशा तय करता है।

विधायी प्रक्रिया का दर्शन: क्यों और कैसे?

विधायी प्रक्रियाएँ उन नियमों और परंपराओं का समूह हैं जिनके माध्यम से कानून बनाए जाते हैं और सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। यह प्रक्रिया केवल ''बहुमत'' का खेल नहीं है, बल्कि ''विमर्श'' की परिपाटी भी है।

1. कानून निर्माण की शुचिता: कोई भी विधेयक अधिनियम बनने से पहले कई चरणों से गुजरता है। प्रथम वाचन में परिचय, द्वितीय वाचन में विस्तृत चर्चा और तृतीय वाचन में अंतिम निर्णय। यह प्रक्रिया इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी कानून जल्दबाजी में या किसी वर्ग विशेष के अहित में न बन जाए।

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसदीय लोकतंत्र में 'मंत्रिपरिषद्' सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायी प्रक्रियाएँ वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से विधायक मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उनकी नीतियों की समीक्षा करते हैं।

1. प्रश्नकाल (Question Hour)

संसदीय उपकरण: लोकतंत्र के प्रहरी

विधायी प्रक्रियाओं के भीतर कई ऐसे उपकरण हैं जो सदन की कार्यवाही को जीवंत और सार्थक बनाते हैं:

1. प्रश्नकाल (Question Hour)

प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सदस्य लोक महत्व के विषयों पर सरकार से सीधे जवाब मांगते हैं।

अल्पसूचित प्रश्न – जिनका उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।

तारांकित प्रश्न – जिनका लिखित उत्तर दिया जाता है।

यह समय सरकार की पारदर्शिता की परीक्षा का होता है।

2. शून्यकाल (Zero Hour)

यह भारतीय संसदीय प्रणाली की एक अनोखी देन है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के सदस्य लोक महत्व के ऐसे मुद्दों को उठा सकते हैं जिनका तत्काल उत्तर अपेक्षित होता है। यह जनता की तात्कालिक समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का सबसे सशक्त माध्यम है।

3. ध्यानाकर्षण सूचना (Calling Attention)

जब राज्य में कोई बड़ी घटना घटती है या अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदस्य इस प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित मंत्री का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हैं। यह सरकार को तत्काल प्रतिक्रिया देने और समाधान खोजने के लिए बाध्य करता है।

संसदीय समितियाँ: लघु विधायिका की शक्ति

सदन के पास समय का अभाव होता है, इसलिए जटिल विषयों की सूक्ष्म जांच के लिए ''संसदीय समितियाँ'' गठित की जाती हैं। इन्हें 'लघु विधायिका' कहा जाता है।

लोक लेखा समिति (PAC): यह समिति कैग (CAG) की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी खर्चों की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जनता का एक-एक पैसा उसी मद में खर्च हो जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था। यह सरकारी खर्चों में मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधारों पर सुझाव देती है।

विशेषाधिकार समिति: सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करती है।

आधुनिक चुनौतियाँ और डिजिटल विधायिका आज का युग तकनीक का है। ''ई-विधान'' (NeVA) जैसी परियोजनाओं ने विधायी प्रक्रियाओं को कागज रहित और पारदर्शी बनाया है।

डिजिटल पुस्तकालय: विधायकों के लिए शोध सामग्री की उपलब्धता।

सीधा प्रसारण: सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण जनता को अपने प्रतिनिधियों के आचरण और कार्यों को देखने का अवसर देता है।

बिहार विधान सभा की कुछ विशिष्ट परंपराएं-

बिहार विधान सभा में कुछ ऐसी स्वस्थ परंपराएं रही हैं जो इसे विशिष्ट बनाती हैं:

1. विपक्ष का सम्मान: सदन में तीखी नोकझोंक के बावजूद, लॉबी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच मधुर व्यक्तिगत संबंध और वैचारिक आदान-प्रदान की परंपरा यहाँ हमेशा से रही है।

2. तर्कपूर्ण बहस: यहाँ के सदस्यों ने हमेशा 'संसदीय नियमों' (Rules of Procedure) का गहराई से अध्ययन किया है। किसी भी विधेयक पर संशोधन (Amendment) लाने की परंपरा यहां अत्यंत समृद्ध रही है।

3. महिला सशक्तिकरण का विधायी मार्ग: बिहार विधान सभा देश की पहली विधायिका बनी, जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का क्रांतिकारी कानून पास किया, जिसका अनुसरण बाद में पूरे देश ने किया।

बिहार विधान सभा की नियमावली के अंतर्गत 'अल्पसूचित प्रश्न' (Short Notice Questions) वे प्रश्न होते हैं जो लोक महत्व के किसी ऐसे विषय से संबंधित होते हैं जिनका स्वरूप ''अत्यंत अविलंबनीय'' (Urgent) होता है। सामान्यत: प्रश्नों के लिए 15 दिनों की सूचना आवश्यक होती है, लेकिन अल्पसूचित प्रश्न कम समय की सूचना पर भी पूछे जा सकते हैं, बशर्ते संबंधित मंत्री उन्हें स्वीकार करें।

यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए जा रहे हैं जो ''तत्काल उत्तर'' की श्रेणी में आते हैं:

1. प्राकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति

जब राज्य के किसी हिस्से में अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो सदस्य नियमित प्रक्रिया की प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

उदाहरण: ''उत्तर बिहार के जिलों में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से जान-माल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा

चलाए जा रहे बचाव कार्यों का विवरण क्या है?''

तर्क: बाढ़ की स्थिति में 15 दिन बाद उत्तर मिलने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, इसलिए इसका उत्तर तत्काल (उसी सप्ताह या अगले दिन) अपेक्षित होता है।

2. महामारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट

यदि राज्य में अचानक किसी अज्ञात बीमारी या महामारी का प्रकोप बढ़ जाए।

उदाहरण: ''विगत तीन दिनों में मुजफ्फरपुर के आस-पास ''चमकी बुखार'' (AES) से हुई बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए सरकार ने कौन से आपातकालीन चिकित्सा दल भेजे हैं?''

तर्क: यह सार्वजनिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है जिसमें तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की जानकारी जरूरी है।

3. कानून-व्यवस्था की गंभीर घटना

राज्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जिससे सामाजिक सद्भाव या सुरक्षा को खतरा हो।

उदाहरण: ''कल रात फलां जिले में हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए तैनात अतिरिक्त पुलिस बल और अब तक की गई गिरफ्तारियों की वर्तमान स्थिति क्या है?''

तर्क: ऐसी घटनाओं पर सदन को तुरंत विश्वास में लेना आवश्यक होता है ताकि अफवाहें न फैलें।

4. किसानों या आम जन की तात्कालिक आर्थिक क्षति

जैसे अचानक बिजली दरों में भारी वृद्धि या फसल की बर्बादी।

उदाहरण: ''बेमौसम ओलावृष्टि से रबी की फसल को हुए 80% नुकसान के आकलन हेतु क्या सरकार ने अगले 48 घंटों में सर्वे कराने का आदेश दिया है?''

तर्क: किसान की समस्या का समाधान तत्काल अपेक्षित है ताकि उसे मुआवजे की उम्मीद मिल सके।

संसदीय समितियाँ - सदन की अदृश्य कार्यशाला:

विधायी प्रक्रियाओं में संसदीय समितियों का महत्व इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि सदन के पटल पर समय का अभाव और राजनीतिक गहमागहमी अक्सर सूक्ष्म विश्लेषण में बाधक बनती है। समितियाँ दलीय राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करती हैं।

समितियों का गठन और लघु रूप: बिहार विधान सभा में विभिन्न प्रकार की समितियाँ होती हैं- स्थायी समितियाँ और तदर्थ (Ad-hoc) समितियाँ। इनमें ''वित्तीय समितियाँ'' (Financial Committees) सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब सदन किसी विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करता है, तो वह केवल नीतिगत होता है, लेकिन लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) कैग (CAG) की रिपोर्ट के माध्यम से यह देखती है कि क्या स्वीकृत धन का उपयोग उसी मद में हुआ? क्या इसमें कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई ?

परामर्शदात्री और जांच की शक्ति: समितियों को ''सिविल कोर्ट'' जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वे अधिकारियों को समन कर सकती हैं, फाइलें मंगा सकती हैं और मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर सकती हैं। समितियों की सिफारिशें यद्यपि सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन उनका नैतिक और विधायी दबाव इतना अधिक होता है कि सरकार उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती।

प्रभावी लोकतंत्र का आधार: समितियों की भीतर चर्चाएं बंद कमरें में होती हैं, जिससे सदस्य दलीय व्हिप (Whip) के दबाव से मुक्त होकर विशेषज्ञता के आधार पर अपनी राय देते हैं। यह ''सहमतियों की राजनीति'' (Politics of Consensus) का उत्कृष्ट उदाहरण है।

ई-विधान (NeVA)- डिजिटल युग में पारदर्शी विधायिका

बिहार विधान सभा देश की उन अग्रणी विधानसभाओं में से एक है जिसने तकनीकी नवाचार को अपनाया है। ''ई-विधान'' केवल कागजों को डिजिटल करना नहीं, बल्कि यह शासन प्रणाली में ''क्रांतिकारी पारदर्शिता''

का नाम है।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA): इसके माध्यम से ''वन नेशन, वन एप्लीकेशन'' की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। अब सदस्यों के पास उनके टैबलेट पर प्रश्न, उत्तर, विधेयक की प्रतियां और कार्यसूची उपलब्ध होती है। इससे न केवल टनों कागज की बचत हो रही है (जो पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ है), बल्कि डेटा की त्वरित उपलब्धता से चर्चा का स्तर भी सुधरा है।

जनता के साथ सीधा जुड़ाव: डिजिटल विधायिका का अर्थ है कि आम नागरिक अब अपने मोबाइल पर देख सकता है कि उसके क्षेत्र के प्रतिनिधि ने सदन में क्या प्रश्न पूछा। बिहार विधान सभा के यूट्यूब चैनल और पोर्टल पर उपलब्ध कार्यवाही के वीडियो और दस्तावेज लोकतांत्रिक जवाबदेही को नई ऊंचाई दे रहे हैं।

डेटा संचालित नीति निर्माण (Data-Driven Policy): ई-विधान के माध्यम से पुराने विधायी संदर्भों, पिछले आश्वासनों और ऐतिहासिक चर्चाओं को खोजना सरल हो गया है। इससे नए विधायकों को शोधपरक बहस करने में सहायता मिलती है।

विधायी प्रक्रिया में ''आश्वासन समिति'' का महत्व

अक्सर सदन में मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में कहते हैं-''कार्यवाही की जा रही है'' या ''शीघ्र विचार किया जाएगा।'' इन आश्वासनों का क्या हुआ? इसके लिए 'सरकारी आश्वासन समिति' (Committee on Government Assurances) कार्य करती है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि सदन के पटल पर सरकार द्वारा किया गया वादा केवल औपचारिकता न रह जाए। यह सरकार के ''कथनी और करनी' के बीच के अंतर को समाप्त करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।

विधायी सुदृढ़ीकरण हेतु कुछ सुझाव - आधुनिक समय में विधायी प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में ''प्री-लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन' (विधेयक पूर्व परामर्श) को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आम नागरिक भी प्रस्तावित कानूनों पर अपनी राय दे सकें। तकनीक के इस युग में डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर विधायी कार्यों को आम जनता के लिए सुलभ बनाना समय की मांग है।

एक जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार आवश्यक है:

1. **कार्य दिवसों की संख्या:** विधान सभा के सत्रों की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हर छोटे-बड़े मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सके।
2. **प्रशिक्षण:** नए निर्वाचित सदस्यों के लिए संसदीय नियमों और विधायी प्रक्रियाओं का गहन प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।
3. **विपक्ष की भूमिका:** लोकतंत्र में विपक्ष का विरोध ''अवरोध'' नहीं, बल्कि 'परिष्करण' का साधन होना चाहिए। रचनात्मक आलोचना ही लोकतंत्र को परिपक्व बनाती है।
4. **जन-भागीदारी:** कानूनों के निर्माण से पहले उनके मसौदे पर जनता की राय लेने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

विधायी प्रक्रियाएं केवल शुष्क नियम नहीं हैं, बल्कि ये वे प्राणवायु हैं जिनसे लोकतंत्र सांस लेता है। जब एक विधायक सदन में प्रश्न पूछता है या किसी नीति पर बहस करता है, तो वह राज्य के लाखों लोगों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। ''विधान प्रबोधनी'' के माध्यम से इन प्रक्रियाओं का ज्ञान आम जनता और जनप्रतिनिधियों तक पहुँचना एक क्रांतिकारी कदम है।

संसदीय गरिमा का संरक्षण करना केवल अध्यक्ष या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर सदस्य का संवैधानिक दायित्व है। यदि सदन में तर्क का स्थान शोर और विमर्श का स्थान व्यवधान ले लेगा, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी। अत: हमें विधायी प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान और उनके पालन के प्रति संकल्पबद्धता दोहरानी होगी।

बाढ़ विधान सभा क्षेत्र : विकास की नई दिशा

डॉ० सियाराम सिंह
सदस्य
बिहार विधान सभा

बिहार के पटना जिले में स्थित बाढ़ विधान सभा क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गंगा नदी के तट पर अवस्थित यह क्षेत्र लंबे समय से कृषि, व्यापार, शिक्षा तथा सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। विगत वर्षों में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखते हुए बाढ़ विधान सभा क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास के लिए सुविचारित कार्य योजना तैयार की गयी है। सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है। उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि बाढ़ क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास के नए मानकों के अनुरूप एक सशक्त और समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित करना है।

आधारभूत संरचना एवं यातायात विकास

किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार उसकी आधारभूत संरचना होती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बाढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों, पुलों और संपर्क मार्गों के निर्माण एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए अनेक सड़क परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिली है। बेहतर संपर्क व्यवस्था के कारण किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुँचाने में सुविधा हुई है तथा विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों का आवागमन भी पहले की अपेक्षा अधिक आसान हुआ है। साथ ही, गांवों में सामुदायिक भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के साथ कच्ची सड़कों को चरणबद्ध तरीके से पक्की सड़कों में परिवर्तित किया जा रहा है।

रेल एवं सड़क परिवहन के क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति मजबूत हुई है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे पटना और अन्य प्रमुख नगरों से जोड़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन परियोजना ने क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है, जिससे पटना सहित अन्य प्रमुख नगरों तक आवागमन और माल परिवहन अधिक सुगम हुआ है। बाढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी और स्टेशन का स्वरूप अधिक आधुनिक और आकर्षक बनेगा। इन प्रयासों ने बाढ़ विधान सभा क्षेत्र को सड़क और रेल संपर्क की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाते हुए इसके सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान की है।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण

बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से कृषि पर आधारित रही है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि यंत्रों पर अनुदान तथा उन्नत बीजों की उपलब्धता जैसी सरकारी पहलों से किसानों

को व्यापक लाभ मिला है। आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन तथा बागवानी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय के स्रोतों में विविधता आई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। भविष्य की कार्ययोजना के अतर्गत बाढ़ से फसलों की सुरक्षा हेतु आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही कोल्ड स्टोरेज एवं आधुनिक कृषि मंडियों की स्थापना कर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही डेयरी एवं पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देकर आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के किसानो के आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण विकास को नई गति प्राप्त होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास का प्रमुख आधार होती है। इसी दृष्टि से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, नए भवनों का निर्माण, शिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। छात्र-छात्राओं के लिए पोशाक एवं साइकिल जैसी योजनाओं ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्र में गुणवतापूर्ण एवं उच्च शिक्षा के विस्तार को ध्यान मे रखते हुए केंद्रीय विद्यालय तथा महिला महाविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई गयी है।

उच्च शिक्षा के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्र के युवा अब बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी), बाढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से युवाओं को विद्यालयी शिक्षा, जेईई, नीट, क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों तथा विभिन्न जॉब पोर्टलों से संबंधित सूचनाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। यह पहल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास का महत्वपूर्ण संकेतक होती है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ किया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन किया जा रहा है, जिससे जनस्वास्थ्य के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से गरीब एवं वंचित वर्गों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में स्वच्छता पोषण तथा रोगों की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया गया है। भविष्य की कार्ययोजना के अतर्गत बाढ़ अनुमंडल अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्नत एवं सुदृढ़ चिकित्सा केन्द्र के रूप मे विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों के विस्तार एवं सुदृढ़िकरण के माध्यम से बच्चों के पोषण एवं मातृ स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ऊर्जा और औद्योगिक संभावनाएँ

बाढ़ विधानसभा क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखता है। यहां स्थित एनटीपीसी, बाढ़ ताप विद्युत परियोजना देश के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्रों में से एक है, जिसने क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बेहतर बिजली आपूर्ति से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना से लोगों को बेहतर प्रकाश व्यवस्था की सुविधा प्राप्त हुई है। साथ ही, पंचायत स्तर पर हाई-स्पीड इंटरनेट एवं वाई-फाई सुविधाओं के विस्तार की योजना के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। ऊर्जा एवं डिजिटल अवसंरचना के विकास से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तरवाहिनी गंगा के प्रसिद्ध उमानाथ घाट सहित क्षेत्र के अन्य प्रमुख घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। उमानाथ घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की सीढ़ियों, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा सुरक्षा संबंधी सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके साथ ही अन्य घाटों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनाने की भी योजना है, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिल सके। इन पहलों से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

बाढ़ क्षेत्र की प्रसिद्ध खोबी की लाई बिहार की समृद्ध खाद्य परंपरा और स्थानीय कारीगरों की विरासत का प्रतीक है। अपने विशिष्ट स्वाद और पारंपरिक निर्माण पद्धति के कारण यह देश के विभिन्न भागों में लोकप्रिय है। इस विशिष्ट उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से इसके लिए जी०आई० (भौगोलिक संकेतक) टैग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी०आई० टैग मिलने से खोबी की लाई की विशिष्ट पहचान को संरक्षण मिलेगा तथा इससे जुड़े कारीगरों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास

सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों तक पहुँच रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास योजनाओं ने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।

गरीब परिवारों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। इससे सामाजिक समावेशन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

चुनौतियाँ और आगे की राह

यद्यपि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र ने विकास के अनेक आयामों में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। क्षेत्र में ट्रैफिक और गंदगी की समस्या, रोजगार के अवसरों का और विस्तार, शहरी सुविधाओं का विकास तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय निरंतर ध्यान की अपेक्षा करते हैं।

भविष्य में सतत विकास, आधुनिक तकनीक का उपयोग, कौशल विकास तथा स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इस क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है। जनभागीदारी और सुशासन की भावना के साथ विकास की यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।

बाढ़ विधान सभा क्षेत्र का विकास बिहार की प्रगति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में हुए कार्यों ने क्षेत्र की विकास यात्रा को नई दिशा दी है। विकास की वर्तमान गति और विकास द्वारा जनहितकारी प्रयास निरंतर जारी रखते हुए सतत समग्र और संतुलित विधान सभा क्षेत्र आने वाले वर्षों में बिहार के अग्रणी विकसित क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकता है।

विकास का लक्ष्य एवं कार्यदृष्टि

संदर्भ भागलपुर विधान सभा

रोहित पाण्डेय
सदस्य
बिहार विधान सभा

भागलपुर की महान जनता ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, वह केवल एक जनादेश नहीं, बल्कि एक गहन जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी मुझे निरंतर प्रेरित करती है कि मैं क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकूँ। मेरा स्पष्ट मानना है कि विकास का अर्थ केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन है। इसी संकल्प के साथ मैंने आने वाले पाँच वर्षों के लिए भागलपुर के सर्वांगीण विकास का एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरा लक्ष्य भागलपुर को एक सशक्त शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी नेतृत्व, नियमित शैक्षणिक सत्र और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना उनके भविष्य को सुरक्षित करने का आधार है। साथ ही, 'एजुकेशन सिटी' के रूप में भागलपुर का विकास कर हम अपने युवाओं को अन्य राज्यों में पलायन करने से रोकेंगे। सिल्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना से पारंपरिक उद्योग और आधुनिक शिक्षा के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण होगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट और मानवीय है- हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले। अत्याधुनिक कैंसर जांच एवं उपचार केंद्र की स्थापना, आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल का सुदृढ़ीकरण, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार और टेलीमेडिसिन जैसी आधुनिक सुविधाओं का विकास इस दिशा में प्रमुख कदम होंगे। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी हमारी प्राथमिकता है, विशेषकर फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा।

भागलपुर की यातायात समस्या का समाधान हमारे विकास एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है एक जाम मुक्त, सुव्यवस्थित और सुरक्षित शहर का निर्माण। एलिवेटेड फ्लाईओवर, गंगा पथ, रेलवे ओवरब्रिज (गुमटी नं.-12 एवं तातारपुर), भोलानाथ पुल और बाईपास चौड़ीकरण जैसी परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाएगा। इनसे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आधुनिक ड्रेनेज प्रणाली को लागू किया जाएगा।

शहरी विकास के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य भागलपुर को एक आधुनिक, स्वच्छ और सुरक्षित शहर बनाना है। जर्जर विद्युत तारों और पोल को हटाकर सुरक्षित व्यवस्था स्थापित की जाएगी, प्रत्येक मोहल्ले में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। महिलाओं की गरिमा और सुविधा को ध्यान

में रखते हुए पिंक टॉयलेट और सार्वजनिक शौचालयों का विस्तार किया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजनाओं को पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाएगा, ताकि आम नागरिक को सीधा लाभ मिल सके।

पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन भी हमारे विकास दृष्टिकोण का अभिन्न हिस्सा है। मृत एवं अनुपयोगी जलस्रोतों-तालाब, कुएं और पोखरों का पुनर्जीवन किया जाएगा। गंगा तटीय क्षेत्रों में हरित पट्टी का विस्तार, डॉल्फिन संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देकर हम भागलपुर की प्राकृतिक पहचान को संरक्षित करेंगे।

युवा सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता के केंद्र में है। आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे।

सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत हमारा प्रयास रहेगा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे। सफाई कर्मियों के मानदेय और सम्मान में वृद्धि, नशामुक्ति अभियान को जनआंदोलन बनाना, और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

विशेष रूप से, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में युवाओं के बीच बढ़ते 'सूखा नशा' की समस्या अत्यंत गंभीर है। यह न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में भी प्रमुखता से उठाया है, जिसके परिणामस्वरूप अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हमारा लक्ष्य है-एक स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त युवा पीढ़ी का निर्माण।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भागलपुर की पहचान-विशेषकर सिल्क उद्योग को पुनर्जीवित करना हमारा संकल्प है। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने, छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि विकास का वास्तविक अर्थ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके लिए जनप्रतिनिधि और जनता के बीच मजबूत संवाद और समन्वय आवश्यक है। मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा कि भागलपुर का प्रत्येक नागरिक यह महसूस करे कि उसका जनप्रतिनिधि हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। जनता की समस्याओं को सुनना, उन्हें समझना और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहना ही मेरी कार्यशैली का मूल आधार है।

आने वाले पाँच वर्षों में हमारा लक्ष्य है कि भागलपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार और पर्यावरण के क्षेत्र में संतुलित और सतत विकास का उदाहरण बने।

डॉ0 अम्बेडकर और भारतीय संविधान

सूर्य नारायण राम
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
बिहार विधान सभा

15 अगस्त, 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। इसके बाद देश को एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा देने की ज़रूरत थी जो विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। इसी उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों, समुदायों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे। यह काम बहुत बड़ा था क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है। इस संविधान का उद्देश्य था सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार देना।

भारतीय संविधान को तैयार करने की प्रक्रिया में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद, संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

डॉ० भीमराव अंबेडकर: संविधान के निर्माता

डॉ० भीमराव रामजी अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ० भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। हालाँकि उन्हें जीवन भर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, फिर भी उनका ज्ञान, कानून और राजनीति में अनुभव, और न्याय के प्रति समर्पण उन्हें इस ज़िम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त बनाता था। डॉ० अंबेडकर ने दुनिया के कई देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया था। उनका सोचने का तरीका स्पष्ट, तर्कसंगत और सबको साथ लेकर चलने वाला था। कानून का गहरा ज्ञान, सामाजिक न्याय की भावना और अंतरराष्ट्रीय सोच के कारण डॉ० अंबेडकर ने एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। डॉ० बी.आर. अम्बेडकर ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय को संविधान का मूल आधार बनाया।

डॉ० भीमराव रामजी अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन और कानूनी ज्ञान

डॉ० भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू (अब मध्य प्रदेश में) एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव का गहरा अनुभव हुआ, जिसने उनके विचारों को प्रभावित किया और सामाजिक न्याय व समानता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. और पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। वहां की आज़ादी और सामाजिक आंदोलन की सोच ने उनके विचारों को और प्रगतिशील बनाया। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) में पढ़े और वहां से डी.एससी. (अर्थशास्त्र) की डिग्री प्राप्त की। साथ ही ग्रेज इन से बैरिस्टर की ट्रेनिंग भी ली। यह शिक्षा उन्हें एक अद्वितीय बौद्धिक दृष्टिकोण देती है। पढ़ाई के दौरान अम्बेडकर ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की कानूनी और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया। वे अमेरिकी संविधान और उसमें दिए गए नागरिक अधिकारों से बहुत प्रभावित थे। पश्चिमी लोकतंत्रों में अपनाए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों ने डॉ० अम्बेडकर को काफी प्रभावित किया। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो।

डॉ० भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की नींव का प्रतीक भी है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की आवाज को संविधान में स्थान दिया, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल सिद्धांतों को भी संविधान का आधार बनाया। उनका विचार था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन होना चाहिए।

बिहार निर्माता
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

जब भारत के संविधान सभा द्वारा हमारे आधुनिक लोकतंत्र का नया अध्याय रचा जा रहा था, तब उसमें कई विभूतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं विभूतियों में से एक थे—डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही प्रसिद्ध शिक्षाविद्, विधिवेत्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा देश को प्रगति के पथ पर लाने और राष्ट्र को नई दिशा दिखाने के लिए जीवनपर्यंत काम करते रहे। इतिहासकार उन्हें 'बिहार के बंगाल पृथक्करण आंदोलन' की मुख्य धुरी मानते हैं।

देश की आजादी से लेकर नव भारत के निर्माण में कई सपूतों का योगदान रहा है। इन्हीं सपूतों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपनी प्रखर लेखनी और विद्वत्ता से पूरे राष्ट्र को राह दिखाने का काम किया। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर, 1871 को बिहार के बक्सर जिले के मुरार गांव में हुआ था। बचपन से ही मेधावी रहे डॉक्टर सिन्हा ने आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और पटना कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की और सन् 1893 में भारत वापस लौटे। लौटने के बाद वह कलकत्ता, इलाहाबाद और फिर पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। 25 जुलाई, 1894 को उनका विवाह लाहौर की राधिका सिन्हा से हुआ, जिन्हें शिक्षा और पुस्तकालयों से बेहद प्यार था। सन 1894 में

डॉ. सिन्हा की मुलाकात जस्टिस खुदाबख्श खान से हुई। जब जस्टिस साहब का तबादला हैदराबाद हुआ तो उनकी लाइब्रेरी की पूरी जिम्मेदारी डॉ. सिन्हा ने उठानी शुरू की और वर्ष 1894 से 1898 तक उन्होंने खुदाबख्श लाइब्रेरी के सचिव के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

इस दौरान कई ऐसी घटनाएँ घटीं, जिन्होंने डॉ. सिन्हा को पृथक बिहार के लिए संघर्ष करने हेतु बाध्य कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने अखबार को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने सन् 1894 में 'द बिहार टाइम्स' के नाम से एक अंग्रेजी अखबार निकाला। सन् 1906 के बाद इस अखबार का नाम 'बिहारी' कर दिया गया।

पृथक बिहार के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल, 1908 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस की बैठक पटना में हुई, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरूल हक ने संभाली। इस कांफ्रेंस में सर मुहम्मद फखरुद्दीन ने एक अलग स्वायत्त राज्य बिहार की माँग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया, जिसका हर जिले से आए हुए प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। उसी वर्ष सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की नींव रखी गई और सैयद हसन इमाम को उसका अध्यक्ष बनाया गया। डॉ. सिन्हा की अध्यक्षता में अप्रैल 1909 में भागलपुर में बिहार राज्य सम्मेलन हुआ, जिसमें पृथक बिहार की माँग दोहराई गई।

वर्ष 1910 के चुनाव में राजघराने से ताल्लुक रखने वाले चार नुमाइंदों को हराकर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा इंपीरियल विधान परिषद् में बंगाल कोटे से और ठीक उसी समय मौलाना मजहरुल हक मुस्लिम कोटे से बतौर प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, जो बिहारियों के हक के लिए लड़नेवालों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। डॉ. सिन्हा वर्ष 1910 से 1920 तक इस पद पर रहे। इस अवसर का उपयोग उन्होंने बिहार के लोगों की समस्याओं को केंद्रीय स्तर पर उठाने के लिए किया। जब लार्ड एस.पी. सिन्हा ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् के विधि सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया, तब डॉ. सिन्हा ने गवर्नर जनरल से शिमला में मुलाकात के दरम्यान अली इमाम को इस पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की। यद्यपि प्रारंभ में अली इमाम ने इसके लिए किसी उत्सुकता का प्रदर्शन नहीं किया, परंतु जब श्री सिन्हा ने समझाया कि इससे पृथक बिहार के गठन को सरकारी समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी तो वे विधि सदस्य बनने को तैयार हो गए। अली इमाम ने कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य बनकर गवर्नर जनरल के सानिध्य का लाभ उठाते हुए उनसे बिहार प्रांत के गठन का आग्रह किया। आखिरकार, 12 दिसंबर, 1911 को दिल्ली दरबार में गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग के द्वारा पृथक प्रांत के रूप में बिहार एवं उड़ीसा के गठन की घोषणा की गई। 22 मार्च, 1912 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई और 1 अप्रैल, 1912 को इस नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। यह श्री सिन्हा के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था।

सन् 1912 में पृथक बिहार के गठन मात्र से सच्चिदानंद सिन्हा संतुष्ट नहीं थे। उन्हीं के मिले-जुले

अथक प्रयासों से 1916 में पटना उच्च न्यायालय एवं 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पृथक बिहार प्रांत के गठन के अलावा सच्चिदानंद सिन्हा ने तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक बिहार के सामाजिक परिदृश्य में बदलाव नहीं होगा, बिहार आधुनिकता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता।

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने ही 26-28 दिसंबर, 1912 को बांकीपुर, पटना में रायबहादुर रघुनाथ मधोलकर की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव पद को सुशोभित किया था। वर्ष 1916 से 1920 तक वे बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 1914 में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यूरोपीय देशों का दौरा किया।

जुलाई, 1919 में उनकी पत्नी राधिका सिन्हा की मृत्यु हो गई। तब डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने उनकी स्मृति में सन् 1924 में पटना की सुप्रसिद्ध सिन्हा लाइब्रेरी की नींव रखी। बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य को एक नया बौद्धिक आयाम देने में यह लाइब्रेरी मील का पत्थर साबित हुई। 10 मार्च, 1926 को एक ट्रस्ट की स्थापना कर डॉ. सिन्हा ने इस लाइब्रेरी के संचालन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी।

सन 1927 में अपने यूरोप प्रवास के दौरान उन्होंने जिनेवा में आयोजित इंटरनेशनल प्रेस कांफ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1930 में उन्हें उड़ीसा बाउंड्री कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया। 1936 में उनको पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर-सरकारी वाईस चांसलर नियुक्त किया गया, जिस पर वह 1944 तक कार्यरत रहे। 1937 में उन्हें पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुना गया। इसी वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. की मानद उपाधि प्रदान की। 1946 में वह पुन: बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 1946 में ही उन्हें भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के तौर पर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया।

9 दिसंबर 1946 के दिन संसद भवन के पुस्तकालय भवन में भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉ. सिन्हा के नाम की घोषणा की गई। संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के कुछ दिनों बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 14 फरवरी,1950 को जब वे पटना में अस्वस्थ थे तो भारतीय संविधान को उनके हस्ताक्षर हेतु विशेष तौर पर विमान से पटना लाया गया ताकि वह हस्ताक्षर कर सकें। 6 मार्च, 1950 को 79 वर्ष की आयु में बिहार के इस महान सपूत का निधन हो गया। आधुनिक बिहार के गठन से लेकर उसके चौतरफा विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा अनुकरणीय रहेंगे।

प्रज्ञाग्नि
प्रशाखा पदाधिकारी

आधुनिक बिहार के शिल्पकार

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

1871–1950

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा एक दूरदर्शी अधिवक्ता, राजनेता और शिक्षाविद् थे, जिन्होंने भारत की प्रारंभिक संवैधानिक और राजनीतिक यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बिहार प्रांत का निर्माण और डॉ. सिन्हा

डॉ. सिन्हा के ही अथक प्रयासों का नतीजा था कि 1 अप्रैल, 1912 को बंगाल प्रांत से अलग बिहार एवं उड़ीसा का एक नए प्रांत के रूप में गठन संभव हो पाया।

पत्रकारिता का क्षेत्र

पत्रकार के रूप में डॉ. सिन्हा ने बिहार टाइम्स, हिंदुस्तान रिव्यू इत्यादि युगांतकारी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं सम्पादन किया।

समाज सुधारक सिन्हा साहब

डॉ. सिन्हा का मानना था कि सामाजिक बुराइयों के रहते राष्ट्र का विकास असंभव है। उन्होंने इस दिशा में स्वयं पहल किया और समाज सुधारक के रूप में अपने को प्रस्तुत किया।

लेखक के रूप में सिन्हा साहब

लेखक के रूप में डॉ. सिन्हा का कोई मुक़ाबला नहीं था। उनकी भाषा में जो परिपक्वता और तथ्य रहते थे वो अतुलनीय हैं।

Famous Quote

"To my mind, My Lord, there is hardly any question on which people are more interested than of provincial finance, for larger fund at the disposal of the local government mean direct and tangible benefit to the public."

-During discussion on Budget in 1910

पटना

सात शहीद

उमाकांत प्रसाद सिंह	रामानंद सिंह	सतीश प्रसाद झा	जगपति कुमार
देवीपद चौधरी	राजेन्द्र सिंह	राम गोविन्द सिंह	

गंगा के पावन तट पर बसा पटना, प्राचीन पाटलिपुत्र के रूप में भारतीय इतिहास, संस्कृति और लोकतांत्रिक परंपरा का गौरवशाली केंद्र रहा है। यह नगर अनेक महान साम्राज्यों, विद्वानों और राष्ट्रीय आंदोलनों का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराते हुए सात शहीदों के अद्वितीय बलिदान ने पटना को राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक बना दिया। आज बिहार की राजधानी के रूप में पटना लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रशासनिक परंपराओं, शिक्षा, संस्कृति और विकास की नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है तथा अपने समृद्ध अतीत और गौरवशाली विरासत से देश को निरंतर प्रेरणा प्रदान कर रहा है।

पटना मैप

पटना

सभ्यता, संस्कृति और प्रगति की यात्रा

भारत के इतिहास में कुछ नगर ऐसे हैं, जिन्होंने केवल समय का प्रवाह ही नहीं देखा, बल्कि स्वयं इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पटना ऐसा ही एक नगर है। बिहार की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित यह शहर प्राचीन पाटलिपुत्र की गौरवशाली विरासत का उत्तराधिकारी है। लगभग ढाई हजार वर्षों से अधिक समय से निरंतर आबाद यह नगर भारतीय राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश शासन से लेकर आधुनिक भारत तक की यात्रा में पटना ने अनेक ऐतिहासिक परिवर्तनों को निकट से देखा है। यही कारण है कि यह केवल एक राजधानी शहर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सतत यात्रा का जीवंत प्रतीक माना जाता है।

नामकरण और नगर-निर्माण

पटना का इतिहास जितना प्राचीन है, उसके नामकरण से जुड़ी परंपराएँ भी उतनी ही रोचक हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र को भारत के उन विरले नगरों में गिना जाता है, जिन्हें इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न नामों से जाना गया। कुसुमपुर, पुष्पपुर, पुष्पावती, पुष्पालयपुर, श्रीनगर, पाटलिपुत्र, पाडलिपुत्र, पालिम्बोथ्रा और अजीमाबाद जैसे नाम इसकी दीर्घ ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-वृत्तांत में उल्लेख किया है कि इस नगर का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, क्योंकि यहाँ के राजप्रासादों और उद्यानों में पुष्पों की विशेष बहुलता थी। बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र प्रचलित हुआ।

पाटलिपुत्र के नामकरण के संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ और ऐतिहासिक परंपराएं मिलती हैं। ह्वेनसांग ने एक रोचक कथा का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार एक पाटलि वृक्ष से जुड़ी घटना के कारण इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। वहीं कथासरित्सागर में इसका संबंध राजा महेंद्रवर्मा की पुत्री 'पाटलि' से जोड़ा गया है। जैन और पुराण साहित्य में भी इसके नामकरण की अलग-अलग व्याख्याएं मलती हैं। यद्यपि इन कथाओं की ऐतिहासिक पुष्टि कठिन है, फिर भी वे इस नगर की प्राचीन सांस्कृतिक स्मृति को दर्शाती हैं।

पाटलिपुत्र के नगर-निर्माण के संबंध में अधिकांश ऐतिहासिक स्रोत मगध के शासक उदायिन का उल्लेख करते हैं। जैन ग्रंथों तथा वायुपुराण के अनुसार, अजातशत्रु के पुत्र उदायिन ने गंगा तट पर नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि शकुनविदों ने गंगा के किनारे पुष्पों से लदे एक पाटल वृक्ष और उस पर बैठे नीलकंठ को शुभ संकेत माना। इसी स्थान को नई राजधानी के लिए चुना गया और यहाँ एक सुव्यवस्थित नगर बसाया गया, जिसे पाटलिपुत्र अथवा कुसुमपुर कहा गया।

पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति उसके विकास का सबसे बड़ा कारण बनी। गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक नदियों के निकट स्थित होने के कारण यह नगर सुरक्षा, परिवहन और व्यापार-तीनों दृष्टियों से अत्यंत उपयुक्त था। यही कारण है कि नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त और बाद के अनेक राजवंशों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ दीर्घनिकाय से संकेत मिलता है कि बुद्ध के समय तक पाटलिपुत्र पूर्ण विकसित महानगर नहीं बना था, किंतु उनके जीवनकाल के अंतिम वर्षों में ही इसके चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। बुद्ध ने स्वयं इसकी भावी समृद्धि की भविष्यवाणी की थी।

चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय तक पाटलिपुत्र विश्व के महान नगरों में गिना जाने लगा। यूनानी दूत मेगस्थनीज ने इसे विशाल परकोटों, अनेक द्वारों, चौड़ी सड़कों

और सुव्यवस्थित प्रशासन वाला नगर बताया है। इस प्रकार पाटलिपुत्र का विकास केवल एक राजधानी नगर के रूप में नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के केंद्र के रूप में हुआ।

प्राचीन भारत की राजनीतिक राजधानी

पाटलिपुत्र का वास्तविक उत्कर्ष नंद और मौर्य शासकों के काल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'इंडिका' में पाटलिपुत्र का वर्णन एक विशाल, सुव्यवस्थित और समृद्ध नगर के रूप में किया है। उसने इसकी चौड़ी सड़कों, विशाल प्राचीरों और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की विशेष प्रशंसा की है।

सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र विश्व के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। यह केवल राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म, शिक्षा, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। अशोक ने यहीं से अपने विशाल साम्राज्य का संचालन किया और बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए श्रीलंका सहित अनेक देशों में राजदूत भेजे। आज पटना के कुम्हरार क्षेत्र से प्राप्त अवशेष उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। यहां मिला अस्सी स्तंभों वाला सभा भवन मौर्यकालीन स्थापत्य कला और प्रशासनिक उत्कृष्टता का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है।

गुप्तकाल और बौद्धिक उत्कर्ष

गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस काल में पाटलिपुत्र केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, गणित और कला का एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था। गुप्त शासकों के संरक्षण में शिक्षा और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसके कारण भारतीय ज्ञान-परंपरा को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुईं।

महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट का संबंध भी पाटलिपुत्र से माना जाता है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा अपनी प्रसिद्ध कृति आर्यभटीय के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक चिंतन को नई दिशा प्रदान की। शून्य की खोज दशमलव प्रणाली और ग्रह-नक्षत्रों के अध्ययन से संबंधित भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में इस काल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पाँचवीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री फाह्यान ने अपने यात्रा-वृत्तांत में पाटलिपुत्र की समृद्ध सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और सुव्यवस्थित प्रशासन का उल्लेख किया है। उनके विवरण से स्पष्ट होता है कि यह नगर उस समय भी शिक्षा, संस्कृति और बौद्धिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

मध्यकाल में पटना का पुनरुत्थान

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र का राजनीतिक महत्व कुछ समय के लिए कम अवश्य हुआ, किंतु मध्यकाल में यह क्षेत्र पुनः उभरकर सामने आया। विशेष रूप से शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार और पटना के विकास को नई गति मिली। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधारों, राजस्व व्यवस्था और संचार तंत्र को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनके द्वारा विकसित ग्रैंड ट्रंक रोड ने पूर्वी भारत को उत्तर-पश्चिम भारत से जोड़कर व्यापार और आवागमन को नई दिशा प्रदान की।

मुगल काल में पटना पूर्वी भारत के प्रमुख व्यापारिक नगरों में गिना जाने लगा। गंगा तट पर स्थित होने के कारण यह व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ से नमक, रेशम, शोरा (साल्टपीटर), अफीम तथा अन्य वस्तुओं का व्यापार देश और विदेश तक होता था। उस समय पटना की गणना भारतीय उपमहाद्वीप के समृद्ध वाणिज्यिक नगरों में की जाती थी। यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों ने भी अपने विवरणों में इसकी आर्थिक समृद्धि, व्यस्त बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया है।

मध्यकालीन पटना की स्थापत्य विरासत भी उल्लेखनीय है। शेरशाह की मस्जिद और पत्थर की मस्जिद जैसे स्मारक उस युग की कला, स्थापत्य कौशल और

सांस्कृतिक समन्वय के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन इमारतों में अफगान, फारसी और मुगल स्थापत्य परंपराओं का सुंदर संगम दिखाई देता है, जो पटना की बहुआयामी ऐतिहासिक विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए है।

यूरोपीय प्रभाव और औपनिवेशिक स्थापत्य

सत्रहवीं शताब्दी से पटना में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन प्रारंभ हुआ। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और डेनिश व्यापारियों ने यहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। गंगा नदी के किनारे स्थित होने और पूर्वी भारत के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित होने के कारण पटना अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। विशेष रूप से शोरा (साल्टपीटर), रेशम, अफीम और अन्य वस्तुओं के व्यापार ने यूरोपीय कंपनियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। उस समय पटना की गणना भारत के प्रमुख व्यापारिक नगरों में की जाती थी।

ब्रिटिश शासन के दौरान पटना में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक भवनों का विकास हुआ। इसी काल में नगर का स्वरूप पारंपरिक ऐतिहासिक नगर से आधुनिक प्रशासनिक केंद्र की ओर विकसित होने लगा। शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना ने इसे बिहार के बौद्धिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में नई पहचान प्रदान की।

इस काल की स्थापत्य विरासत आज भी पटना के शहरी परिदृश्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गोलघर, पुराना सचिवालय, पादरी की हवेली, पटना कॉलेज तथा अनेक औपनिवेशिक इमारतें ब्रिटिशकालीन वास्तुकला और नगर नियोजन की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। विशेष रूप से गोलघर अपनी विशिष्ट गोलाकार संरचना और इंजीनियरिंग कौशल के कारण औपनिवेशिक स्थापत्य का अनूठा उदाहरण माना जाता है। वहीं, पटना कॉलेज परिसर स्थित ऐतिहासिक डच बिल्डिंग यूरोपीय स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण विरासत है। अठारहवीं शताब्दी में डच व्यापारियों द्वारा निर्मित यह भवन प्रारंभ में व्यापारिक गोदाम के रूप में प्रयुक्त होता था, जिसे बाद में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया। ऊँची मेहराबों, विशाल कक्षों और विशिष्ट वास्तुशैली से युक्त यह भवन आज भी पटना की शैक्षणिक और औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है। ये इमारतें न केवल उस दौर की स्थापत्य परंपरा को प्रतिबिंबित करती हैं, बल्कि पटना के ऐतिहासिक विकास और आधुनिक स्वरूप के निर्माण की कहानी भी प्रस्तुत करती हैं।

भौगोलिक एवं आर्थिक परिदृश्य

पटना बिहार की राजधानी तथा राज्य का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित यह नगर लगभग 3,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले पटना जिले का मुख्यालय है। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों से घिरा यह क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और समृद्ध कृषि परंपरा के लिए जाना जाता है। सड़क, रेल, वायु और अंतर्देशीय जलमार्गों की दृष्टि से इसकी स्थिति पूर्वी भारत के प्रमुख संपर्क केंद्रों में है। जनसंख्या की दृष्टि से पटना बिहार का सर्वाधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र है और तेजी से विकसित होते महानगरों में गिना जाता है। आर्थिक रूप से यह राज्य के व्यापार, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। कृषि आधारित व्यापार, लघु उद्योग, बैंकिंग, रियल एस्टेट तथा उभरते सेवा क्षेत्र ने इसे बिहार की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है।

पटना के प्रमुख पर्यटन एवं विरासत स्थल

पटना केवल बिहार की राजधानी ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं का एक जीवंत संगम भी है। जैन, हिन्दू, सिख और मुस्लिम-सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल यहाँ स्थित हैं, जो इसकी बहुलतावादी विरासत को समृद्ध बनाते हैं। जैन परंपरा में भगवान महावीर से जुड़े स्मृति-स्थल, हिन्दू धर्म में पटन देवी मंदिर, महावीर मंदिर तथा गंगा तट पर स्थित प्राचीन मंदिर, सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब और मुस्लिम विरासत के प्रतीक शेरशाह की मस्जिद, मनेर शरीफ, पत्थर की मस्जिद तथा

खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी–सभी मिलकर पटना की विशिष्ट पहचान निर्मित करते हैं। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का यह सह–अस्तित्व पटना को भारत की गंगा–जमुनी तहजीब और सामाजिक सद्‌भाव का सशक्त प्रतीक बनाता है।

इसी समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण पटना आज बिहार के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक है। यहाँ स्थित स्मारक, संग्रहालय, धार्मिक स्थल और आधुनिक आकर्षण देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा उन्हें बिहार की गौरवशाली विरासत और समकालीन विकास की एक साथ झलक प्रदान करते हैं।

कुम्हरार–प्राचीन पाटलिपुत्र के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यहाँ से प्राप्त मौर्यकालीन अवशेष, विशेष रूप से प्रसिद्ध अस्सी स्तंभों वाला सभा भवन, प्राचीन भारत की उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कौशल और शहरी नियोजन के महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। यह स्थल उस गौरवशाली युग की स्मृति को जीवंत करता है, जब पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी और विश्व के प्रमुख नगरों में से एक था।

अगमकुआँ – पटना का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जिसे मौर्यकाल और विशेष रूप से सम्राट अशोक से जोड़ा जाता है। लगभग 105 फीट गहरा यह कुआँ अपनी रहस्यमयी

संरचना और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका उल्लेख किया है। निकट ही स्थित शीतला माता मंदिर के कारण यह स्थल धार्मिक आस्था का भी प्रमुख केंद्र है। इतिहास, लोककथाओं और धार्मिक विश्वासों का संगम होने के कारण अगमकुआँ पटना की प्राचीन विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।

श्री बड़ी पटन देवी मंदिर – पटना का प्राचीन और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल जिसे शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है तथा यह शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में देवी

महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएँ स्थापित हैं, जिनके दर्शन के लिए वर्षभर श्रद्धालुओं का आगमन होता

रहता है। विशेष रूप से नवरात्र के अवसर पर यहाँ भव्य पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक परंपरा का संगम होने के कारण पटन देवी मंदिर पटना की पहचान का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। पटना नाम की उत्पत्ति को लेकर प्रचलित मान्यताओं में भी पटन देवी का उल्लेख मिलता है, जिससे इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है।

महावीर मंदिर – पटना जंक्शन के निकट स्थित यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और देश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में गिना जाता है। धार्मिक आस्था के केंद्र होने के साथ-साथ यह मंदिर अपनी सामाजिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। पटना की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में महावीर मंदिर का विशेष स्थान है तथा यह बिहार आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है।

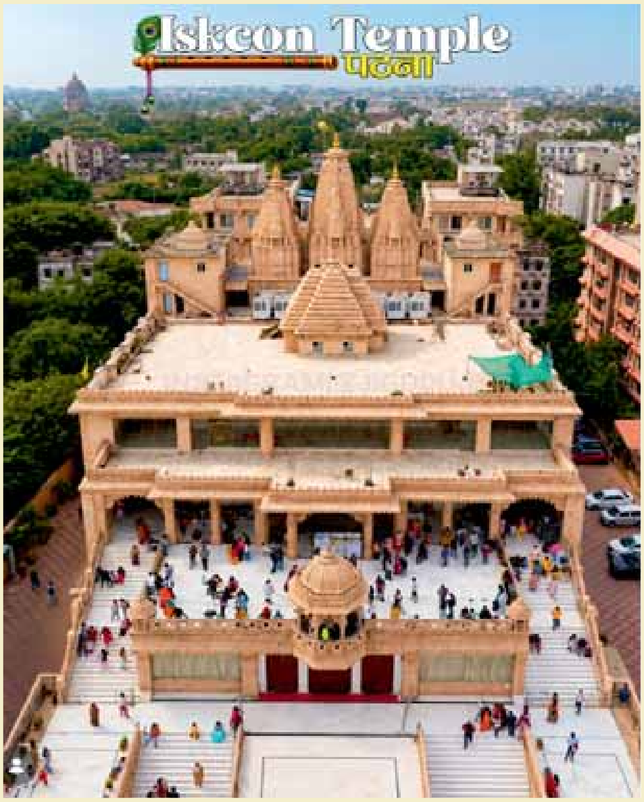

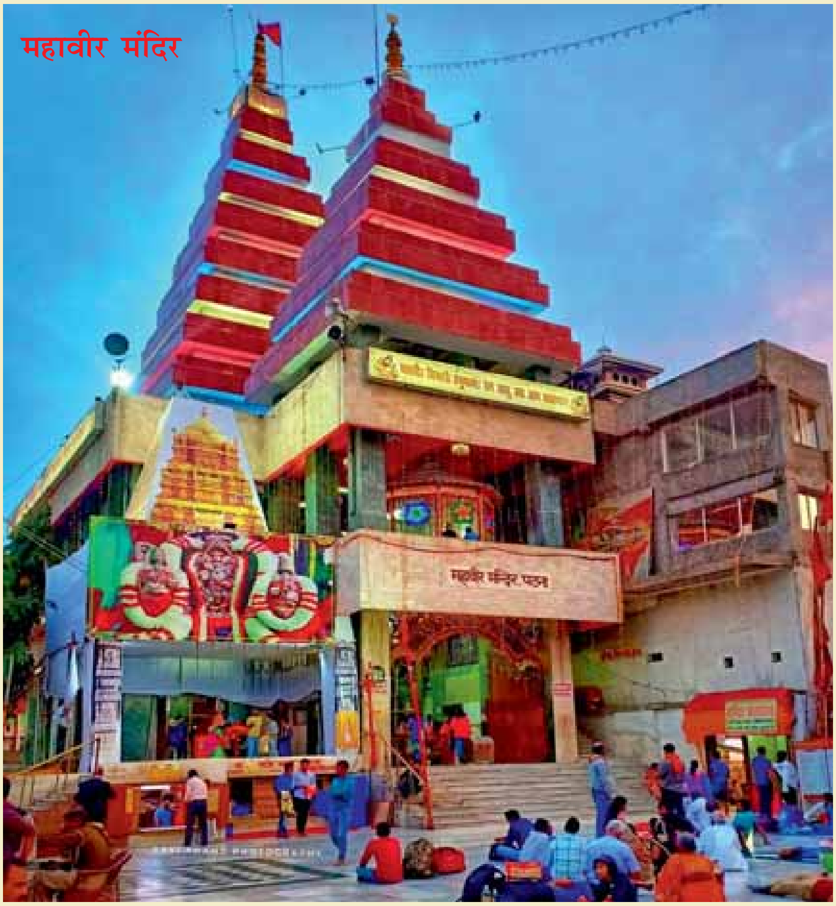

इस्कॉन मंदिर (श्री श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर) – बुद्ध मार्ग स्थित यह भव्य मंदिर भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है और लगभग दो एकड़ क्षेत्र में निर्मित 108 फुट ऊँची बहुमंजिला संरचना अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2010 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। मंदिर में श्री श्री गौर-निताई, श्री राधा बांके बिहारी जी, श्रीराम-जानकी-लक्ष्मण तथा हनुमान जी की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। इसकी दीवारों पर की गई उत्कृष्ट नक्काशी और अलंकरण भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों को सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। "हरे कृष्ण, हरे राम" के मधुर संकीर्तन से गूंजता केंद्रीय प्रार्थना कक्ष भक्तों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। मंदिर परिसर में ध्यान केंद्र, सभागार, अतिथि गृह तथा अन्य बहुउद्देशीय सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, जिससे यह केवल एक पूजा स्थल

ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब – सिख धर्म के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। सिखों के पाँच तख्तों में शामिल यह पवित्र गुरुद्वारा विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक प्रेरणा का

प्रमुख केंद्र है। इसकी भव्य वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक गरिमा इसे बिहार ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख तीर्थस्थलों में स्थान प्रदान करती है।

गोलघर – पटना की पहचान और औपनिवेशिक स्थापत्य का एक प्रमुख प्रतीक है। इसका निर्माण वर्ष 1786 में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन द्वारा अकाल की स्थिति में अनाज भंडारण के उद्देश्य से कराया गया था। अपनी विशाल गोलाकार संरचना, स्तंभ-विहीन वास्तुकला और विशिष्ट निर्माण शैली के कारण यह भारतीय उपमहाद्वीप के अनूठे

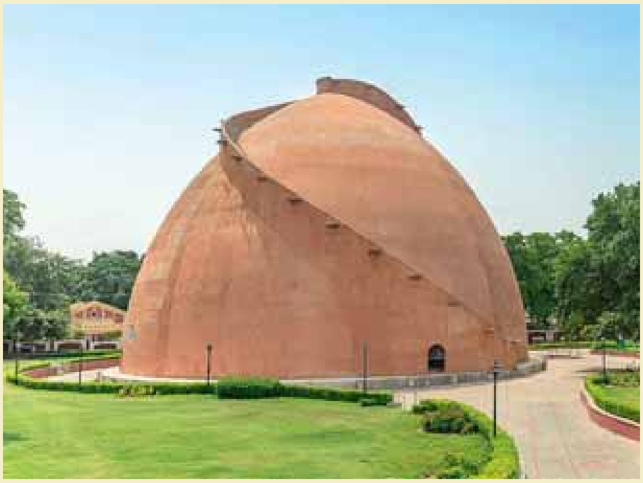

स्थापत्य स्मारकों में गिना जाता है। आज यह पटना की ऐतिहासिक विरासत और नगर की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।

मनेर शरीफ (सूफी परंपरा का एक प्रमुख केंद्र) – पटना से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम स्थित यह स्थल सूफी संत हजरत मखदूम याहिया मनेरी तथा मखदूम शाह दौलत की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित शाह दौलत का मकबरा मुगलकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सूफी विचारधारा, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक होने के कारण मनेर शरीफ बिहार के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी – महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहरों में से एक है। गंगा तट पर स्थित यह पुस्तकालय भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के प्रमुख प्राच्य (Oriental) अध्ययन केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ

अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की और संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं की हजारों दुर्लभ पांडुलिपियाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज, लघुचित्र, सिक्के और दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित हैं। इनमें मुगलकालीन चित्रकला, इस्लामी सुलेख, शाहनामा की सचित्र प्रतियाँ तथा मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अनेक अमूल्य दस्तावेज विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त यह पुस्तकालय शोधार्थियों, इतिहासकारों और साहित्यकारों के लिए ज्ञान का एक समृद्ध केंद्र है।

गांधी संग्रहालय – महात्मा गांधी की स्मृति को संरक्षित करने और उनके विचारों के प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1967 में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह संस्थान महात्मा गांधी के जीवन, उनके सिद्धांतों तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, विशेषकर बिहार में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में गांधीजी के जीवन के विभिन्न चरणों से संबंधित दुर्लभ छायाचित्र, दस्तावेज और स्मृति-चिह्न संरक्षित हैं। यहाँ स्थित पुस्तकालय में गांधी साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा ऑडियो-वीडियो सामग्री का समृद्ध संग्रह उपलब्ध है, जो शोधार्थियों, विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। गांधी संग्रहालय न केवल इतिहास और विचारों का केंद्र है, बल्कि सत्य, अहिंसा और सामाजिक परिवर्तन के गांधीवादी मूल्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

पटना संग्रहालय – बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर का एक महत्वपूर्ण संरक्षक संस्थान है। वर्ष 1917 में स्थापित यह संग्रहालय भारत के सुंदर संग्रहालयों में से एक है और इसे इंडो-सारसेनिक स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। यहाँ मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और पाल काल से संबंधित दुर्लभ मूर्तियाँ, सिक्के, पांडुलिपियाँ, शिलालेख तथा पुरावशेष संरक्षित हैं। दीदारगंज यक्षी की विश्वविख्यात प्रतिमा, भगवान बुद्ध के अवशेषों से संबंधित सामग्री तथा प्राचीन बिहार की कला एवं संस्कृति से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण संग्रह इसकी विशेष पहचान हैं। एक शताब्दी से अधिक समय से यह संग्रहालय शोधार्थियों, इतिहासकारों और पर्यटकों को बिहार के गौरवशाली अतीत से परिचित करा रहा है।

बिहार संग्रहालय – आधुनिक बिहार की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्ष 2015 में स्थापित यह संग्रहालय आधुनिक तकनीक और आकर्षक प्रस्तुति के माध्यम से बिहार के गौरवशाली इतिहास, कला और संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ मौर्य, गुप्त और पाल काल की दुर्लभ मूर्तियाँ, पुरावशेष, पांडुलिपियाँ तथा लोक-सांस्कृतिक धरोहरें संरक्षित हैं। अपनी विश्वस्तरीय वास्तुकला, डिजिटल प्रदर्शनों और संवादात्मक दीर्घाओं के कारण यह संग्रहालय देश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में गिना जाता है तथा नई पीढ़ी को बिहार की समृद्ध विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय मिलकर बिहार की ऐतिहासिक स्मृतियों तथा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बापू टावर – महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित यह भव्य स्मारक पटना के गर्दनीबाग में स्थित है। लगभग 120 मीटर ऊँचा यह टावर बिहार के सबसे ऊँचे सार्वजनिक स्मारकों में गिना जाता है। इसके परिसर में महात्मा गांधी के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका तथा उनके विचारों को आधुनिक प्रदर्शनी और डिजिटल माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है। ऑब्जर्वेशन डेक से पटना शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। बापू टावर न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि गांधीवादी मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक बिहार की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी – पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित यह विज्ञान केंद्र विद्यार्थियों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आधुनिक विज्ञान दीर्घाएँ, इंटरैक्टिव प्रदर्शनी और शैक्षणिक गतिविधियाँ इसे शिक्षा और पर्यटन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाती हैं।

बिहार संग्रहालय

पटना संग्रहालय

गांधी संग्रहालय

साइंस सिटी
SCIENCE CITY

Shrikrishna Science Centre
श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र

बापू टावर

श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र – पटना का एक प्रमुख विज्ञान एवं शैक्षणिक केंद्र है, जो विद्यार्थियों और आम नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर स्थापित इस केंद्र में विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ स्थापित इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, वैज्ञानिक मॉडल, थ्री-डी शो तथा शैक्षणिक गतिविधियाँ विज्ञान को अनुभवात्मक रूप में समझने का अवसर प्रदान करती हैं। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के कारण यह केंद्र शिक्षा एवं पर्यटन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इंदिरा गांधी तारामंडल – देश के प्रमुख तारामंडलों में से एक है। विज्ञान, अंतरिक्ष और खगोलशास्त्र को लोकप्रिय बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक प्रोजेक्शन तकनीक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पर्यटकों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है तथा पटना के प्रमुख शैक्षणिक आकर्षणों में शामिल है।

गांधी मैदान – राजधानी पटना ही नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक आंदोलनों तक अनेक ऐतिहासिक सभाओं, जनआंदोलनों और राजनीतिक कार्यक्रमों का यह साक्षी रहा है। महात्मा गांधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण तथा अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ से जनता को संबोधित किया। आज भी गांधी मैदान सार्वजनिक आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं का प्रमुख स्थल है तथा बिहार की लोकतांत्रिक चेतना और जनभागीदारी का प्रतीक माना जाता है।

बुद्ध स्मृति पार्क – भगवान बुद्ध के 2554वें जन्मोत्सव के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा विकसित प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केन्द्र जो लगभग 22 एकड़ क्षेत्र में फैला पार्क पटना जंक्शन के निकट स्थित है तथा बौद्ध विरासत, शांति एवं ध्यान का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।

इसका प्रमुख आकर्षण लगभग 200 फीट ऊँचा पाटलिपुत्र करुणा स्तूप है, जिसमें वैशाली से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ-साथ श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान और दक्षिण कोरिया से प्राप्त अवशेष भी सुरक्षित रखे गए हैं। पार्क परिसर में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापत्य परंपरा से प्रेरित ध्यान केंद्र, बौद्ध साहित्य से समृद्ध पुस्तकालय, संग्रहालय तथा आधुनिक ऑडियो-विजुअल और मल्टीमीडिया माध्यमों से बुद्ध के जीवन और उपदेशों को प्रस्तुत करने वाली प्रदर्शनी भी स्थापित की गई है। परम पावन दलाई लामा द्वारा रोपित बोधिवृक्ष इस स्थल की आध्यात्मिक गरिमा को और बढ़ाते हैं।

पटना जू और राजधानी वाटिका – पटना के प्रमुख मनोरंजन एवं पर्यटन स्थलों में शामिल विविध वन्यजीवों, हरित वातावरण और शैक्षणिक गतिविधियों के कारण ये स्थल पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के प्रति जागरूकता और प्रकृति से जुड़ाव का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विशेष रूप से पटना जू राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है।

गंगा रिवर फ्रंट और सभ्यता द्वार आधुनिक पटना की नई पहचान के रूप में उभरे हैं। गंगा तट पर विकसित ये स्थल बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शहरी विकास से जोड़ते हैं। एक ओर ये प्राचीन सभ्यता की स्मृतियों को संजोए हुए हैं, तो दूसरी ओर नागरिकों और पर्यटकों को आकर्षक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराते हैं।

कालिदास रंगालय – बिहार की सांस्कृतिक और रंगमंचीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बिहार की समृद्ध नाट्य परंपरा, साहित्यिक गतिविधियों तथा प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन में इसकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। यहाँ नियमित रूप से नाटक, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, साहित्यिक गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक समारोह तथा कला-संबंधी विविध आयोजन आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य के सांस्कृतिक जीवन को निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। कालिदास रंगालय ने अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मियों, कलाकारों और साहित्यकारों को मंच प्रदान कर बिहार की रंगमंचीय परंपरा को नई पहचान दिलाई है। प्रेमचंद रंगशाला नाट्य प्रस्तुतियों का प्रमुख मंच है, जहाँ समय-समय पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के नाटकों का मंचन होता रहा है। कला, साहित्य और रंगमंच के संगम स्थल के रूप में कालिदास रंगालय आज पटना की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।

रवींद्र भवन – यह भवन साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वर्षों से यह संस्थान साहित्यकारों, कलाकारों, शिक्षाविदों और सांस्कृतिक कर्मियों के संवाद तथा अभिव्यक्ति का सशक्त मंच बना हुआ है। यहाँ आयोजित संगोष्ठियाँ, व्याख्यानमालाएँ, कवि सम्मेलन, नाट्य प्रस्तुतियाँ, पुस्तक विमोचन और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पटना के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन को निरंतर समृद्ध करते रहे हैं। कला, साहित्य और विचार-विमर्श की परंपरा को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण रवींद्र भवन आज भी पटना की सांस्कृतिक पहचान के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है।

इसी प्रकार **भारतीय नृत्य कला मंदिर** देश के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थानों में से एक है। शास्त्रीय नृत्य, संगीत और रंगमंच के प्रशिक्षण एवं प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध यह संस्थान बिहार की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिससे यह कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। इन संस्थाओं की सक्रियता यह प्रमाणित करती है कि पटना केवल इतिहास की स्मृतियों का नगर नहीं, बल्कि सृजन, कला और सांस्कृतिक चेतना का भी एक जीवंत केंद्र है।

पटना कलम: जनजीवन को चित्रों में उतारने की अनूठी कला

पटना कलम भारतीय चित्रकला की एक विशिष्ट

शैली है, जिसका विकास अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में पटना में हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ आए कलाकारों ने ऐसी चित्रकला परंपरा विकसित की, जिसने राजाओं और दरबारों के बजाय सामान्य जनजीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। कुम्हार, किसान, व्यापारी, नाविक, बाजार, मेले और लोक उत्सव इसके प्रमुख विषय थे, जिससे तत्कालीन समाज, संस्कृति और जीवन शैली का सजीव चित्रण संभव हुआ। सेवक राम, शिवलाल, शिवदयाल लाल, हुलासलाल और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जैसे कलाकारों ने इस शैली को समृद्ध बनाया। अपनी यथार्थपरक अभिव्यक्ति और लोकजीवन से गहरे जुड़ाव के कारण पटना कलम भारतीय कला इतिहास में विशिष्ट स्थान रखती है तथा बिहार की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है।

आधुनिक पटना

इक्कीसवीं सदी का पटना तेजी से विकसित होते महानगर के रूप में उभर रहा है। पटना मेट्रो परियोजना, गंगा रिवर फ्रंट, नए गंगा पुल, स्मार्ट सिटी तथा शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाएँ शहर को नया स्वरूप प्रदान कर रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) पटना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों ने इसे शिक्षा और शोध के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है। विरासत संरक्षण और आधुनिक विकास के संतुलन के साथ पटना भविष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

पटना केवल बिहार की राजधानी नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की एक जीवंत धरोहर है। प्राचीन पाटलिपुत्र से आधुनिक महानगर तक की इसकी यात्रा भारतीय समाज, राजनीति, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विकास की कहानी कहती है। मौर्यकालीन वैभव, गुप्तकालीन बौद्धिक उत्कर्ष, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता, पटना कलम जैसी कलात्मक परंपराएँ तथा समृद्ध विरासत इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। अतीत की गौरवशाली स्मृतियों और वर्तमान की नई संभावनाओं के मध्य खड़ा पटना आज भी भारतीय सभ्यता की निरंतरता और जीवंतता का सशक्त प्रतीक बना हुआ है।

पटना : एक नजर में. . .

श्रेणी	विवरण
प्रमंडल	पटना
जिला मुख्यालय	पटना
क्षेत्रफल	3,202 वर्ग किमी
जनसंख्या	58,38,465 (पुरुष-30,58,512 एवं महिला-27,59,953)
साक्षरता दर (%)	70.68
अनुमंडल	छः (6)-पटना सदर, पटना सिटी, बाढ़, मसौढ़ी, दानापुर, पालीगंज
प्रखंडों की संख्या	23
पंचायतों की संख्या	309
गाँव की संख्या	1395

धनंजय कुमार
शोध संदर्भ सहायक

पटना जिला से लोकसभा सदस्य

श्री रवि शंकर प्रसाद
निर्वाचन क्षेत्र
पटना साहिब
पार्टी - भाजपा

श्रीमती मीसा भारती
निर्वाचन क्षेत्र
पाटलिपुत्र
पार्टी - राजद

18वीं बिहार विधान सभा में पटना जिले से निर्वाचित सदस्य

श्री अनंत कुमार सिंह
निर्वाचन क्षेत्र
मोकामा (178)
पार्टी - जद (यू)

डॉ0 सियाराम सिंह
निर्वाचन क्षेत्र
बाढ़ (179)
पार्टी - भाजपा

श्री अरूण कुमार
निर्वाचन क्षेत्र
बख्तियारपुर (180)
पार्टी - लोजपा (रा)

श्री संजीव चौरसिया
निर्वाचन क्षेत्र
दीघा (181)
पार्टी - भाजपा

राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के उपरान्त माननीय श्री नितिन नवीन द्वारा विधायक पद से त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप बाँकीपुर विधान सभा क्षेत्र वर्तमान में रिक्त

रिक्त
निर्वाचन क्षेत्र
बाँकीपुर (182)

श्री संजय कुमार
निर्वाचन क्षेत्र
कुम्हरार (183)
पार्टी - भाजपा

श्री रत्नेश कुमार
निर्वाचन क्षेत्र
पटना साहिब (184)
पार्टी - भाजपा

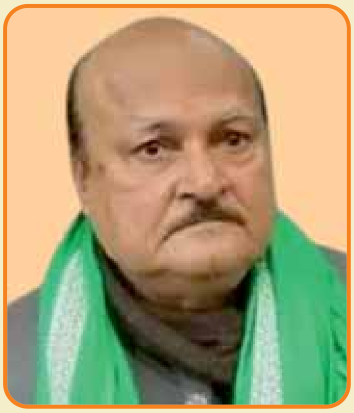

डॉ0 रामानन्द यादव
निर्वाचन क्षेत्र
फतुहा (185)
पार्टी - राजद

श्री राम कृपाल यादव
निर्वाचन क्षेत्र
दानापुर (186)
पार्टी - भाजपा

श्री भाई बिरेन्द्र
निर्वाचन क्षेत्र
मनेर (187)
पार्टी - राजद

श्री श्याम रजक
निर्वाचन क्षेत्र
फुलवारी (अ.जा.) (188)
पार्टी - जद (यू)

श्री अरूण मांझी
निर्वाचन क्षेत्र
मसौढ़ी (अ.जा.) (189)
पार्टी - जद (यू)

डॉ. संदीप सौरभ
निर्वाचन क्षेत्र
पालीगंज (190)
पार्टी - भा.क.पा.
(माले) (लि.)

श्री सिद्धार्थ सौरव
निर्वाचन क्षेत्र
बिक्रम (191)
पार्टी - भाजपा

समाचार पत्रों की नजर से...

गया जी के विकास को लेकर सीएम से मिले स्पीकर

पटना. विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात कर गया जी जिले की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और आधारभूत संरचनाओं विकास से विचार-विमर्श किया. मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि गया जी जिले से संबंधित सभी विकास योजनाओं पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनसेवा जरूरी : डॉ. प्रेम कुमार

श्रीश्री रविशंकर ने योग-ध्यान की महत्ता दुनिया को बताई

विस अध्यक्ष ने विश्व दूरसंचार दिवस की बधाई दी

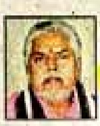

पटना। विस अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विश्व दूरसंचार दिवस पर समस्त संचार प्रौद्योगिकीविद, तकनीकी विशेषज्ञ एव अन्वेषकों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान-प्रदान के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, ऐसे मे युगांतरकारी संचार मानव जीवन का आधार है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस और वट सावित्री पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है।

कैशलेस इलाज से बड़ी राहत, डॉ. प्रेम कुमार ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

विधानमंडल सचिवालय के लिए बस सेवा शुरू, आम लोग भी होंगे सवार

तेलंगाना की टीम ने समझी विधानमंडल की कार्यप्रणाली

बिहार विस अध्यक्ष और विधान परिषद उपसभापति से मिला तेलंगाना विधानमंडल का दल

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। तेलंगाना विधानमंडल के पदाधिकारियों का दल शुक्रवार को अध्ययन दौरे पर बिहार विधानसभा और विधानपरिषद पहुंचा। इसके पहले उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। अध्यक्ष ने आगत टीम के सदस्यों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया।

सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। अध्ययन दल का आगमन तेलंगाना विधान सभा सचिवालय एवं तेलंगाना विधान परिषद

तेलंगाना विधानमंडल के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार से मुलाकात की। ● सौ : विधानसभा

विभिन्न क्षेत्रों में बिहार की निरंतर प्रगति हो रही : प्रेम

पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. बिहारी लाल ने विधानसभा सचिवालय में विधायकों एवं मंत्रियों, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों, पूर्व मंत्रियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और डिजिटल कनेक्विटी के क्षेत्रों में सुधार के सकारात्मक प्रगति की ओर अग्रसर किया रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कारयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में

...भवन में बुधवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) सय्यद अता हसनैन ...ष्टाचार मुलाकात करते विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार।

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रख्यात बांग्ला कवि व राष्ट्रगान के रचयिता गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए भावांजलि अर्पित की है। डॉ. प्रेम कुमार कहा कि टैगोर विश्व साहित्य में अपने योगदान के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। उन्हें भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के लिए आमार ...न के लिए भी याद किया जाता है। उनका व्यक्तित्व और ... करता रहेगा।

स्पीकर ने राजगीर मलमास मेले को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दीं

पटना। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने राजगीर में शुरू हुए राजगीर मलमास मेला के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

कहा कि यह मेला केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश की सनातनी परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। मलमास के दौरान राजगीर की भूमि विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है और पुराणों व धर्मग्रंथों में इसका महत्व वर्णित है। मान्यता है कि इस अवधि में 33 कोटि देवी-देवता, ऋषि-मुनि और पवित्र तीर्थों की उपस्थिति राजगीर में मानी जाती है। उन्होंने बताया कि सप्तधारा और ब्रह्मकुंड जैसे गर्म जलकुंडों में स्नान, ध्यान और दान से पुण्य की प्राप्ति और पापों के नाश की परंपरागत मान्यताएं जुड़ी हैं।

महाराणा प्रताप का वीरगाथा व बलिदान अतुलनीय : डा. प्रेम

रा.ब्यू., पटना: विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार ने शौर्य, साहस और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि और धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान योद्धा की गौरवगाथा अविस्मरणीय है। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, दृढ़ संकल्प और मुगल शासक अकबर के खिलाफ अभूतपूर्व संघर्ष व हल्दी घाटी युद्ध के लिए जाना जाता है। राणा प्रताप ने मातृभूमि के गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका अटूट समर्पण, अमर बलिदान और वीरगाथा सदैव राष्ट्रप्रेम के लिए प्रेरित करता रहेगा।

समाचार पत्रों की नजर से...

चौरसिया विस में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक बने

■ विस अध्यक्ष ने मंजीत को उप मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी

■ बेलदौर विधायक पन्ना लाल राजकीय आश्वासन समिति के सभापति मनोनीत

ललन सर्राफ, राजेन्द्र गुप्ता विप में उप नेता बने

...सान के लिए एक पूर्ण जैविक क्रिया : डॉ. प्रेम

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष ...मार ने विश्व हास्य दिवस पर ...हर इंसान के लिए सरल व ...क्तिशाली उपहार 'हंसी' एक ...क प्रतिक्रिया है जो हमारे ... स्वास्थ्य की स्थिति में ... भूमिका निभाती है। ... हास्य दिवस इस विचार पर ...है कि जब लोग खुश होते हैं, ...सकारात्मकता को दूसरों तक ...। डॉ. कुमार ने कहा कि आज ...में तनाव, चिंता और अवसाद ...स्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे ...कृतिक दवा की तरह काम

स्पीकर ने रासबिहारी बोस को किया नमन

पटना. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने क्रांतिकारी और शिक्षाविद् रासबिहारी बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. कहा कि गदर क्रांति से लेकर आजाद हिंद फौज के संगठन को गढ़ने में उनका योगदान अतुल्य व अविस्मरणीय है. स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका बलिदान, समर्पण और योगदान स्वर्ण अक्षरों से अंकित है. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशों में भी संघर्ष किया और राष्ट्रप्रेम का अलख जगाया.

विस अध्यक्ष ने प्रौद्योगिकी दिवस की बधाई दी

पटना। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। यह दिन 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण की याद में समर्पित है और पहली बार वर्ष 1999 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान

पीएम का सम्मान भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा : प्रेम

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक विश्व के 32 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गौरव, सम्मान और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत कूटनीति एवं विश्व शांति, मानवता और विकास के प्रति समर्पित प्रयासों के कारण आज भारत का मान-सम्मान पूरे विश्व में लगातार बढ़ रहा है।

...यक्ष ने हिमंत बिस्वा सरमा को बधाई दी

...सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने हिमंत बिस्वा सरमा ...मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ लेने ...धाई व अनंत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ...सरमा ने अपने दृढ़ संकल्प, उत्कृष्ट प्रशासनिक ...निक कौशल एवं राष्ट्रहित के प्रति समर्पण के बल

विधानसभा अध्यक्ष ने मातृ दिवस की बधाई दी

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मातृ दिवस के अवसर पर देश एवं प्रदेश की सभी माताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मां केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और मातृ शक्ति का सम्मान हमारी परंपरा एवं संस्कृति की पहचान है।

तंबाकू के सेवन से बचें : डॉ प्रेम कुमार

पटना. विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने विश्व तंबाकू निषेध दि... पर कहा कि यह दिन तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे... जागरूकता बढ़ाने और तंबाकू की खपत को कम करने वाली नीतियों... बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है. वर्तमान में युवाओं, महिलाओं और बुजु... में सिगरेट, खैनी, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू आदि के अलग अलग रूप मे सेव... करते हुए देखा जा रहा है. यह कैंसर सहित कई बीमारियों का असमय कार... है. तंबाकू को ना कहकर और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहि...

विस संग्रहालय में पांच गैलरी-ऑडिटोरियम होंगे

■ विधानसभा अध्यक्ष ने निर्माण कार्य का जायजा लिया

■ गैलरी में विधानसभा का इतिहास प्रदर्शित किया जाएगा

प्रधानमंत्री की राष्ट्रहित अपीलों को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता : डॉ. प्रेम कुमार

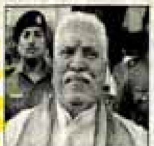

शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक : डा. प्रेम

पटना : विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है। इस दिशा में शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के सभी वर्गों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। वे रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चुनौती बन चुका है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक के न्यूनतम उपयोग और स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप देने की जरूरत है। डा. कुमार ने आपसी सद्भाव, भाईचारा और सर्वधर्म समभाव की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति उसकी विविधता में निहित है और सभी समुदायों को मिलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। (राब्यू)

विस अध्यक्ष ने दी श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सभी मेहनतकश श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह दिवस राष्ट्र के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान देने वाले सभी श्रमिकों के अतुलनीय परिश्रम, अनवरत योगदान और मजबूत हाथों को सम्मान करने हेतु समर्पित है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है।

विधानसभा अध्यक्ष ने वैशाख पूर्णिमा की बधाई दी

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रदेशवासियों को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को हिन्दू धर्म में स्नान, दान और भगवान विष्णु

नीलेश कुमार
डी.ई.ओ.

बिहार विधान सभा में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण सह मॉक ड्रिल

प्रचंड गर्मी के मौसम में अग्निजनित दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में जागरूकता और पूर्व-तैयारी ही जान-माल की रक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम बनती है। इसी उद्देश्य के साथ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के निर्देश पर 21 मई 2026 को बिहार विधान सभा सचिवालय के मुख्य भवन, उप भवन एवं विस्तारित भवन में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण-सह-मॉक ड्रिल कार्यशाला आयोजन का किया गया। बिहार अग्निशमन सेवा के कुशल पदाधिकारियों द्वारा आयोजित इस व्यावहारिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विधान सभा परिसर को आग से पूरी तरह सुरक्षित बनाना और कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करना था।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत, विस्तारित भवन के बेसमेंट में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अग्निशमन सेवा के विशेषज्ञों द्वारा आग लगने के विभिन्न कारणों, उससे बचाव के वैज्ञानिक तरीकों तथा प्रारंभिक अग्निशमन उपकरणों के सही और त्वरित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। इसके साथ ही, व्यावहारिक प्रदर्शन (मॉक ड्रिल) के माध्यम से आग लगने की स्थिति में त्वरित व सुरक्षित बचाव के उपायों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया।

बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने स्वयं इस मॉक ड्रिल का बारीकी से मुआयना किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भीषण गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जिसके लिए व्यापक सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने अग्निशमन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अग्नि सुरक्षा के इस अभियान को केवल सरकारी भवनों तक सीमित न रखकर जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायतों तक यानि जन-जन तक ले जाएं ताकि एक जागरूक और सुरक्षित समाज का निर्माण हो सके।

कार्यक्रम के समापन पर माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के सुंदर समन्वय को रेखांकित करते हुए मॉक ड्रिल में शामिल बिहार अग्निशमन सेवा के पदाधिकारियों को उपहार स्वरूप पौधा देकर सम्मानित किया।

नन्द किशोर सिंह
संपादन सलाहकार

जल संसद

चाणक्य होटल, पटना में जल संसद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष, डॉ० प्रेम कुमार

पटना के होटल चाणक्य में दिनांक-05 मई, 2026 को दैनिक जागरण द्वारा "हर घर को मिले जल" अभियान के अंतर्गत आयोजित "जल संसद" कार्यक्रम ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के मुद्दे को जनचर्चा के केंद्र में लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इस आयोजन में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा जल संकट, भूजल संरक्षण और जल के संतुलित उपयोग जैसे विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने कहा कि जल संकट अब केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि मानव जीवन, कृषि, स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है। उन्होंने बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि हम आज नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों को "माँ" का दर्जा दिया गया है, इसलिए जल संरक्षण हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दें और अपने दैनिक जीवन में पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की आदत विकसित करें।

जल संसद में उपस्थित वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि केवल भूजल पर निर्भर रहना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। वर्षा जल संचयन, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण, नदियों की स्वच्छता तथा जल के संतुलित उपयोग पर समान रूप से ध्यान देना होगा। बिहार की पारंपरिक जल संरचनाएँ-आहर, पइन और तालाब-कभी ग्रामीण जल प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था थीं, जिन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों ने भूजल के अंधाधुंध दोहन, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को गंभीर चुनौती बताते हुए शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जल संरक्षण मॉडल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाकर जल के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर भी जोर दिया गया।

> जल संसद में मुख्य अतिथि माननीय डॉ० प्रेम कुमार ने भूजल के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि-
> **''यदि हम आज नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी।''**

कार्यक्रम का निष्कर्ष स्पष्ट था कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह सकता। विद्यालयों, पंचायतों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही इसे सफल जनअभियान बनाया जा सकता है। वास्तव में, जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसलिए जल संरक्षण का प्रश्न भविष्य की पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा हुआ है।

"जल संसद" का संदेश यही था-"जल बचेगा, तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा।"

प्रभात कुमार
उप निदेशक (जन.)

रोजगार मेला

23 मई, 2026 को देश के 47 शहरों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। गया जी में भी पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में इसका खासा उत्साह रहा। इस कार्यक्रम में बिहार विधान सभा अध्यक्ष, डॉ. प्रेम कुमार एवं केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएँ दी गई।

राजगीर मलमास मेला

बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने 17 मई, 2026 से प्रारंभ हुए ऐतिहासिक 'राजगीर मलमास मेला' के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने इस मेले को केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सनातनी परंपरा, अटूट आस्था और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत प्रतीक बताते हुए कहा कि धर्मग्रंथों के अनुसार, मलमास (अधिकमास) में राजगीर की धरती देवलोक के समान पवित्र हो जाती है, जहाँ 33 कोटि देवी-देवता साक्षात निवास करते हैं। यहाँ के पवित्र गर्म जल कुंडों (सप्तधारा और ब्रह्मकुंड) में स्नान, ध्यान व दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। यह मेला हमारी 'वसुधैव कुटुंबकम' की मूल भावना को धरातल पर पूर्णत: चरितार्थ करता है।

पंकज कुमार
शोध संदर्भ सहायक

तेलंगाना विधान मंडल अध्ययन दल का बिहार दौरा

तेलंगाना विधान मंडल अध्ययन दल के साथ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

तेलंगाना विधान परिषद् के सचिव डॉ. वी. नरसिम्हा चारयुलू एवं विधान सभा सचिव श्री आर. थिरुपति के नेतृत्व में आए अध्ययन दल ने बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। अध्यक्ष महोदय ने आगत टीम के सदस्यों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया।

इस अध्ययन दल के बिहार विधान सभा के दौरे का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना विधान सभा एवं तेलंगाना विधान परिषद् सचिवालय के प्रस्तावित विभाजन हेतु प्रक्रिया को जानना तथा हैदराबाद में आयोजित होने वाले 12वें सी.पी.ए. इंडिया प्रक्षेत्र सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु बिहार विधान सभा में अब तक सी.पी.ए. एवं अन्य बड़े स्तर पर आयोजित सम्मेलनों के संबंध में जानकारी के साथ ही बिहार विधान मंडल की कार्यप्रणाली के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना था। इसके लिए अध्ययन दल द्वारा बिहार विधान सभा के वरीय पदाधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की गई। साथ ही, बिहार विधान सभा में पूर्व में सफलतापूर्वक आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एवं सी.पी.ए. (CPA) भारतीय प्रक्षेत्र के सम्मेलन के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गयी।

तेलंगाना विधान मंडल की ओर से मांगी गई हर जानकारी श्री राजीव कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा द्वारा मुहैया कराई गई जिसमें बिहार विधान सभा की समिति सिस्टम, फाइनेंशियल प्रोविजन, मनी बिल, बिहार विधान मंडल बजट सिस्टम, लेजिस्लेटिव बिज़नेस संबंधी विस्तृत जानकारी, विधान सभा एवं विधान परिषद् की कार्यप्रणाली एवं भरती नियमावली, संवर्ग के साथ ही पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बाईफरकेशन प्रोसेस तथा माननीय सदस्यों एवं पूर्व माननीय सदस्यों के पेंशन सिस्टम, उनके बजटीय प्रावधान इत्यादि की जानकारी दी गई।

तेलंगाना विधान सभा के सचिव एवं तेलंगाना विधान परिषद् के सचिव ने बिहार विधान सभा के प्रभारी सचिव एवं पदाधिकारियों को इस हेतु धन्यवाद अर्पित किया।

तेलंगाना विधान मंडल के अध्ययन दल के सम्मान में माननीय अध्यक्ष महोदय के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया। अध्ययन दल द्वारा गया जी एवं बोध गया का भ्रमण भी किया गया।

प्रभाकर कुमार पंकज
प्रधान आप्त सचिव

बिहार विधान सभा : कर्मियों के लिए इको-फ्रेंडली बस सेवा का शुभारंभ

वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ते प्रदूषण के बीच सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग आज समय की सबसे बड़ी मांग है। इसी आवश्यकता को केंद्र में रखते हुए और माननीय प्रधानमंत्री के पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के आह्वान को साकार करने की दिशा में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा डॉ. प्रेम कुमार की पहल पर सभा सचिवालय ने एक अनुकरणीय कदम उठाया। सोमवार 25 मई, 2026 को सुबह 8:00 बजे बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा विधान मंडल सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुगम यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर विशेष बस सेवा का शुभारंभ किया गया।

इस नई व्यवस्था के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक, सीएनजी (ग्रीन बस) और महिला कर्मियों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष "पिंक बस" का परिचालन शुरू किया गया। कर्मियों के आवासित स्थानों से कार्यालय तक के सफर को आसान बनाने के लिए तीन प्रमुख मार्गों का निर्धारण किया गया है। एम्स (पटना) से विधान मंडल रूट तथा धनकी मोड़ से विधान मंडल, निर्वाचन आयोग व विकास भवन रूट पर एक-एक इलेक्ट्रिक, सीएनजी और पिंक बस चलाई गई है। वहीं, सगुना मोड़ से विधान मंडल सचिवालय तक के लिए एक इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है।

अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सचिवालय सेवा के कर्मियों के लिए निगम द्वारा पूर्व से संचालित अन्य रूटों की बसों का लाभ भी विधान मंडल के कर्मी उठा सकेंगे। इस अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्री अतुल वर्मा, सभा सचिवालय की प्रभारी सचिव श्रीमती पूनम सिन्हा और अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

यह सुविधा न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों के दैनिक आवागमन को आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देकर बिहार और देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुमूल्य योगदान देगी। निस्संदेह, ऊर्जा संरक्षण और कर्मचारी कल्याण के मोर्चे पर बिहार विधान मंडल की यह पहल अन्य संस्थानों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण सिद्ध होगी।

दीपक कुमार
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

लोक सेवक आवास, पटना में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ॰ प्रेम कुमार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस शिष्टाचार भेंट में माननीय अध्यक्ष महोदय ने बिहार के विकास तथा विशेष रूप से गया जी जिले की महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यातायात की सुगमता हेतु कई फ्लाईओवर, काशी-महाकाल की तर्ज पर विष्णुपद व बोधगया कॉरिडोर तथा मगध टाउनशिप के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री द्वारा इन विकास योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

दिनांक 30 मई, 2026 को बोधगया में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान- 2026' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर एकात्म मानववाद, अंत्योदय के सिद्धांतों और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान पर गहन एवं प्रेरणादायी चर्चा हुई।

माँ निर्दोष सेवा केंद्र, पटना एवं गया कॉलेज, गया जी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 16-17 मई, 2026 को 'राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति-सह-सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया गया, साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

बोधगया हवाई अड्डे पर दिनांक 05 मई, 2026 को वियतनाम के माननीय राष्ट्रपति 'तो लाम' का स्वागत करते हुए माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा डॉ० प्रेम कुमार, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी।

दिनांक 01 मई, 2026 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सत्य, अहिंसा और करूणा के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध की 2570 वीं जयंती पर हार्दिक शुभकमनाएँ देते हुए बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ० प्रेम कुमार ने कहा कि यह पर्व हमें जीवन में संतुलन और शांति, करूणा और अहिंसा का संदेश देता है। माननीय अध्यक्ष ने लोगों से आह्वान किया हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर एक बेहतर और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए।

13 मई, 2026 को पूर्व उप मुख्यमंत्री पद्म भूषण से सम्मानित माननीय स्व. सुशील कुमार मोदी जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार द्वारा दिवंगत नेता को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री नरेंद्र नारायण यादव द्वारा 'लोक सेवक आवास' में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी के साथ शिष्टाचार भेंट की गयी, साथ ही राज्य के विकासात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

5 मई, 2026 को विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने निर्माणाधीन बिहार विधान सभा संग्रहालय के निर्माण के संबंध में भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार एवं सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की। 5 दीर्घाओं और ऑडिटोरियम वाले इस संग्रहालय में सदन का इतिहास प्रदर्शित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण स्थल का जायजा लेकर कार्य में तेजी लाने तथा आगामी बैठक हेतु 3D प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए।

बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मई, 2026 के अंतिम सप्ताह में असम और मेघालय प्रवास के अनुभव साझा करते हुए 'विकसित बिहार' व 'विकसित भारत' के निर्माण हेतु व्यापक जनभागीदारी का आह्वान किया।

डॉ. प्रेम कुमार ने गुवाहाटी (असम) के नीलांचल पर्वत स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा बिहार की सुख-शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास की विशेष कामना की।

इस यात्रा के अंतर्गत उन्होंने मेघालय के शिलांग और सोहरा में विधायी कार्यों के अध्ययन के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भी भ्रमण किया।

राजीव रंजन
शोध संदर्भ सहायक

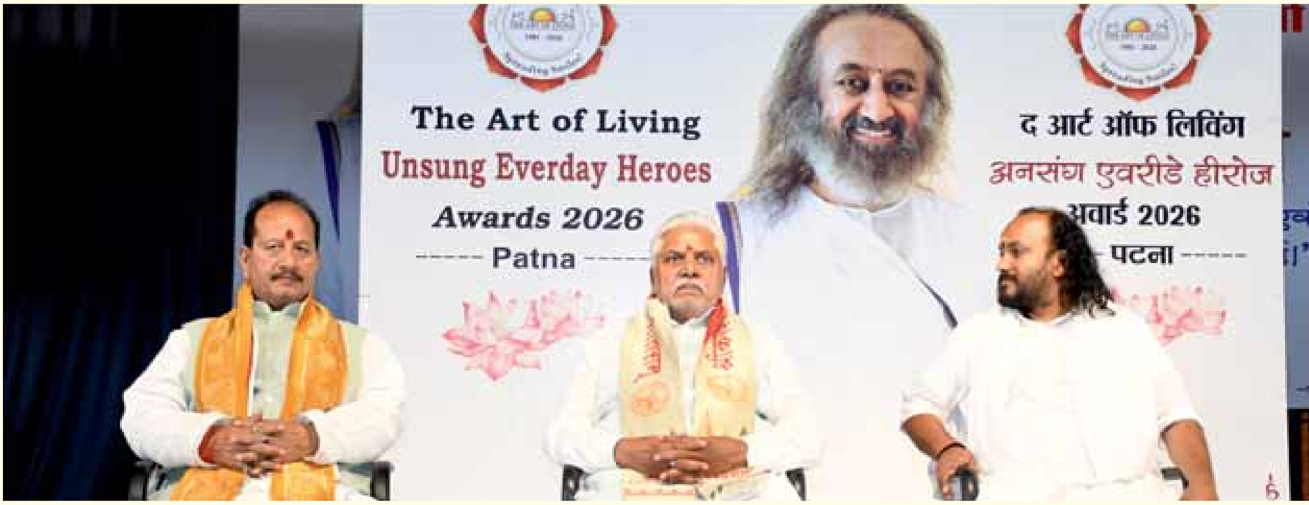

'द आर्ट ऑफ लिविंग' द्वारा आयोजित अनसंग एवरीडे हीरोज अवार्ड कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार एवं माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा

2570वीं बुद्ध जयन्ती समारोह, 2026 के अवसर पर बोधगया में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय अध्यक्ष विधान सभा, माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं अन्य महानुभावगण

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विदेशी महानुभावों के साथ माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार एवं माननीय केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

गया जी जिले में आयोजित रोजगार मेला में नियुक्ति-पत्र वितरित करते हुए माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार एवं केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

विधान सभा स्थित अध्यक्षीय कार्यालय में माननीय मंत्री, श्री नीतीश मिश्रा को सम्मानित करते हुए माननीय अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार

यशस्वी मुखिया कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा के अध्यक्षीय कार्यालय में अग्निशमन पदाधिकारियों के साथ माननीय अध्यक्ष, डॉ० प्रेम कुमार

प्रभात खबर द्वारा आयोजित 'कर्मयोगी सम्मान समारोह, 2026' में सम्मानित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

गया जी के चाकंद लोयला पब्लिक स्कूल में वृक्षारोपण करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

पटना मरीन ड्राइव पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी विकासात्मक सोच और आधुनिक बिहार के निर्माण का मनोरम दृश्य उपस्थापित करता है। जे.पी. गंगा पथ जिसे मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, की आधारशिला वर्ष 2013 में रखी गई थी, जिसका उद्देश्य गंगा तट के समानांतर तेज, सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराना तथा पटना को आधुनिक शहरी स्वरूप देना था। इसका प्रतिफल है कि आज शहर में यातायात का दवाब काफी कम हुआ है और गंगा तट के सौंदर्य एवं पर्यटन को भी पहचान मिली है।

मरीन ड्राइव, पटना

विधान प्रबोधनी

बिहार विधान सभा

विधान प्रबोधनी पत्रिका के जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर अंकों में शामिल किए जाने वाले आलेख हैं-

1. प्रतियोगी एवं अकादमिक परीक्षाओं में पेपर लीक की चुनौतियाँ और समाधान।
2. अग्निकांड की बढ़ती घटनाएँ : रोकथाम, सुधार एवं जन-जागरूकता की आवश्यकता।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा : डिजिटल युग की नई चुनौतियाँ।
4. बिहार की खेल नीति : उपलब्धियाँ, संभावनाएँ और भविष्य की चुनौतियाँ।
5. बिहार में औद्योगिकीकरण : वर्तमान परिप्रेक्ष्य, अवसर और चुनौतियाँ।